खण्डः ४, अंकः २ फरवरी 2021

संक्षा

डी सी आर सी मासिक पत्रिका



राजनीतिक हिंसा



डी.सी.आर.सी.

विकासशील राज्य शोध केंद्र

दिल्ली विश्वविद्यालय

मुख्य संपादक प्रो. सुनील के चौधरी

संपादक


डा. रमेश भारद्वाज नागेन्द्र कुमार शरद कुमार यादव

संपादकीय मंडल

डा. अभिषेक नाथ कुँवर प्रांजल सिंह आशीष कुमार शुक्ल



अनुक्रमिका संपादकीय i-ii 1. चुनावी हिंसाः एक परिचय - सृष्टि 1-4 2. राजनीतिक हिंसा – मोहिनी मित्तल 5-9 3. राजनीतिक हिंसाः कारण एवं निवारण - राम किशोर 10-15 4. राजनीतिक हिंसा बनाम हिंसा की राजनीति – जया ओझा 16-18 5. राजनीतिक हिंसा का परिवर्तित समकालीन रूप – रजनी 19-23 6. राजनीतिक हिंसाः लोकतांत्रिक व्यवस्था पर कुठाराघात – प्रियंका बारगल 24-29 – हितेन्द्र बारगल 7. भारत में चुनावी राजनीतिक हिंसाः लोकतांत्रिक आयाम के प्रति आघात 30-34 – राखी 8. राजनीतिक हिंसा का व्यवसायिक पर्यावरण पर कुठाराघात 35-41 - डॉ. अमित अग्रवाल



विकासशील राज्य शोध केंद्र, दिल्ली विश्वविद्यालय की हिन्दी मासिक पत्रिका संश्लेषण के 31वें अंक को आप सभी के सम्मुख प्रस्तुत करते हुए हमें प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। यह पत्रिका हिंदी—भाषी विद्यार्थियों व शोधार्थियों की विचार—अभिव्यक्ति का एक महत्वपूर्ण मंच है, जिसने उन्हें विभिन्न समसामयिक विषयों पर अपने विचारों को प्रकट करने का सुअवसर प्रदान किया है। संश्लेषण से जुड़े समस्त लेखकों तथा सुधी पाठकों के सुझावों एवं प्रोत्साहन से अपनी निरंतरता को बनाए रखते हुए वर्ष 2021 का यह द्वितीय अंक आप सभो के विचारार्थ प्रेषित किया जा रहा है।

स्वातंत्र्योत्तर भारतीय राजनीति में राजनीतिक आचरण सदैव से ही विचारणीय प्रश्न रहा है। राजनीतिक आचरण संबंधी यह प्रश्न मात्र राजनेताओं से ही संबंधित नहीं है अपितु जनता से भी संबंधित है। चुनावों के दौरान अथवा उसके पश्चात विभिन्न राजनीतिक दलों विशेषकर सत्ता पक्ष के समर्थक जब राजनीतिक उन्माद में मदांध होकर हिंसक व्यवहार करते हैं तो उसे राजनीतिक हिंसा के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इस स्थिति में लोकतंत्र के उत्सव में लोकतांत्रिक मर्यादाओं तथा संवैधानिक नियमों को भुला दिया जाता है।

राजनीतिक हिंसा भारतीय राजनीति की गंभीर समस्या रही है। विभिन्न दलों के समर्थकों द्वारा एक—दूसरे के प्रति राजनीति प्रेरित हिंसक व्यवहार दशकों से लोकतंत्र को सशक्त करने वाली चुनावी प्रक्रिया को विषाक्त करने का कार्य कर रहा है। केरल तथा पश्चिम बंगाल इस प्रकार की हिंसा के केंद्र रहे हैं जहाँ 1960 के दशक से ही वामपंथ बनाम दक्षिणपंथ का संघर्ष देखा जा सकता है। राजनीतिक हिंसा कहीं वैचारिक आधार पर दिखाई पड़ती है, कहीं पांथिक आधार पर, तो कहीं जातिगत आधार पर। कारण व आधार जो भी हों परंतु यह भारतीय लोकतंत्र की मूल भावना के विपरीत हैं जहाँ प्रत्येक व्यक्ति को अभिव्यक्ति का समान अधिकार प्राप्त है।


राजनीतिक हिंसा के विभिन्न पक्षों तथा प्रश्नों पर केंद्रित संश्लेषण का यह अंक विभिन्न लेखों के माध्यम से ना केवल उन कारणों को प्रत्यक्ष करता है जो राजनीतिक हिंसा के लिए उत्तरदायी हैं अपितु इसके समाधान के उपाय भी सुझाता है। इस अंक के लिए प्राप्त अनेक लेखों में से गंभीर लेखों को संपादक मंडल द्वारा चयनित किया गया है, जो लेखकों के स्वतंत्र चिंतन की

अभिव्यक्ति हैं। संपादक मंडल द्वारा इन लेखों की मौलिकता तथा सृजनात्मकता को किसी भी रूप से परिवर्तित नहीं किया गया है।

संश्लेषण के इस अंक पर प्राप्त प्रतिक्रियाओं के आधार पर हम आगामी अंकों में गुणात्मक व रचनात्मक परिवर्तन लाने का प्रयास करेंगे। आप सभी लेखकों व पाठकों का सहयोग संश्लेषण की निरंतरता को बल प्रदान करता है, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद।

संपादक मंडल

रविवार, 14 मार्च 2021



चुनावी हिंसाः एक परिचय

सृष्टी

शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय

समकालीन विश्व में चुनावों की संस्था वस्तुतः सर्वव्यापी है। विश्व के लगभग सभी देशों में चुनाव होते हैं, चुनावी लोकतंत्र में सत्ता का शांतिपूर्ण हस्तांतरण की स्वीकृति व अनुमित होने के बावजूद भी, समेकित लोकतंत्रों के बाहर चुनाव अधिकांशतरू पर्याप्त हिंसा के साथ होते हैं। यह विशेषांक परिचय लेख विभिन्न विश्लेषणात्मक एवं अनुभावजन्य गतिशीलता क साथ राजनीतिक हिंसा के प्रकार व उपप्रकार के रूप में चुनावी हिंसा को स्थापित करता है। चुनावी हिंसा अन्य प्रकार की संगठित हिंसा से किस प्रकार भिन्न है, और यह भी कि यह कैसे अहिंसक चुनावी भ्रष्टाचार से गुणात्मक रूप से भिन्न है।

विभिन्न चुनावों में, विशेष रूप से लाकतंत्र में चुनाव व चुनावी प्रक्रिया प्रचार अविध के दौरान, मतदान के दिन या मतदान के पश्चात हिंसा के महत्वपूर्ण स्तरों से भरे हुए होते हैं। चुनावी हिंसा लोकतान्त्रिक संस्थानों को कमजोर करती है।

एक समस्या के रूप में चुनावी हिंसा की प्रांसिंगक प्रासंगिकता को देखते हुए अकादिमक विद्यार्थियों व शोधार्थीयों के लिए इसकी व्यापकता व कारणों की स्पष्ट समझ लेना आवश्यक है।, इसके साथ ही इस चुनावी हिंसा को रोकने के लिए क्या किया जा सकता है, उस पर विचार करना भी महत्वपूर्ण व आवश्यक है।

अधिकतर विचारक चुनावों में लोकतंत्रिकता व इसके संघर्ष उप्रेरण जोखिमों पर कार्य करने में रुचि रखते थे, जो चुनाव व हिंसा के मध्य एक संभावित संबंध बनाते हैं (लंदकमत, 2000)। राजनीतिक नेताओं व अभिनेताओं के द्वारा चुनावी हिंसा को चुनाव की प्रक्रिया एवं परिणाम को प्रभावित करने के लिए लगाया जाता है, जिसके अंतर्गत मनुष्यों, संपत्ति तथा आधारिक संरचना के विरुद्ध कार्य सम्मिलत होते हैं।

चुनावी हिंसा संगठित हिंसा के अन्य रूपों से भिन्न है, जिसके अंतर्गत चुनाव के आसपास की संगठित संरचना उन तरीकों को आकार देती है जिनम हिंसा चुनावी प्रक्रिया मे हस्तक्षेप करती है। चुनावी संरचनाओं द्वारा प्रदान की गए नेता, अभिनेता, प्रथाएं तथा संस्थान चुनावी हिंसा को कैसे और क्यों प्रभावित करते है।

जब हिंसा ऐसे अभिनेताओं के चुनावों को प्रभावित करने के लिए होती है जो समवर्ती रूप से सरकार को उखाड़ फेकने व क्षेत्रीय नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास करते हैं। तो व्यापक संघर्ष की गतिशीलता पर इसका प्रभाव हो सकता है। उदाहरण के लिए मतदाताओं व उम्मीदवारों के विरुद्ध हिंसा मतदाता को दबा सकती है। व सुरक्षित चुनाव करवाने मे सरकार की विफलता का प्रदर्शन कर सकती है। जिससे सरकार की समग्र वैधता व जीतने की क्षमता व कौशलता को कम होती है। (Birnir, 2018)

चुनावी हिंसा हिंसक सांप्रदायिक संघर्ष के संदर्भ में भी प्रकट हो सकती है। सांप्रदायिक एक दूसरे के विरुद्ध सांप्रदायिक अस्मिता (समान्यतरू जातीयता या धर्म) के साथ संगठित हाकर गैर-राज्य समूहों का विरोध करते हैं। ये संसाधन की कमी, भूमि उपयोग या स्थानीय प्राधिकरण जैसे विषयों का विस्तार करते हुए चुनावी गतिशीलता से स्थनीयकृत व अलग हो जाते हैं। यद्यपि चुनाव प्रक्रियाओं के प्रारंभ में ही प्रायरू जातीय या धार्मिक दरार में परिवर्तन करने के लिए अभिजात वर्ग के लोगों को प्रोत्साहित किया जाता है। इस प्रकार का परिवर्तन सांप्रदायिक हिंसा को बढ़ावा देता है (Wilkinson, 2004)।

इसके अतिरिक्त, चुनावी हिंसा सामान्यतरू चुनावी भ्रष्टाचार का एक अन्य रूप है। चुनावी कदाचार के अन्य रूपों की तरह, जैसे कि पंजीकरण प्रक्रिया के साथ छेड़छाड़, वोट खरीदना या चुनावी घोखाघड़ी, चुनावी हिंसा का उद्देश्य चुनावी प्रक्रिया मे परिवर्तन करना है। एक गुणात्मक तथ्य यह भी है कि चुनावी हिंसा शारीरिक चोट व जीवन के नुकसान का भय उत्पन्न करती है, जिसके परिणामस्वरूप व्यतियों व समाज पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है, जो घोखाघड़ी, वोट खरीद व चुनावी हेरफेर की रणनीति के स्वरूपों से भिन्न होते है।

एक महत्वपूर्ण आयाम चुनावी हिंसा की औपचारिक और अनौपचारिक संस्थागत नींव का है, जिससे सत्तावदी विरासत, सत्ता में विकल्प, दलों का संस्थागतकरण व अनौपचारिक माध्यम के प्रभाव का पता चलता है। सुदृढ़ व समावेशी संस्थाएं विश्वसनीय लोकतंत्रों माध्यमों के माध्यम से सूचित सहभागिता, प्रतिनिधित्व व पारदर्शिता को बढ़ावा देकर बल के प्रयोग को रोक सकती है। इसके विपरीत, व्यापक अनौपचारिक संस्थान, जहां संरक्षण की राजनीति व कानून के शासन की


कमी राज्य के संसाधनों से कुछ समूहों के बहिष्कार के साधन बन जाते है। अभिनेताओं को हिंसक साधनों का सहारा लेने के लिए प्रीतसाहित करते है।

अतः चुनावी हिंसा राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के मुख्य उद्देश्य से जुड़ी हुई है— प्रतियोगिता, सहभागिता व सत्ता की खोज। चुनावी हिंसा के विषय इस प्रकार राजनीतिक रणनीतियों के अभिन्न अंग है। इसके अतिरिक्त, चुनाव नियमित व चक्रीय प्रकृति के होते हैं, जिससे चुनावी हिंसा का समय राजनीतिक हिंसा के अन्य रूपों की तुलना में अधिक अनुमानित होता है। चुनावी हिंसा के कारणों में सामान्यतरू चुनाव से जुड़े तात्कालिक कारकों का एक संयोजन सम्मिलित होता है, जैसे की सत्ता में प्रत्यावर्तन की संभावना या दलीय संरचनाओं का संस्थागतकरण। इस कारण से चुनावी हिंसा की रोकथाम के लिए अल्पकालिक व दीर्घकालिक प्रयासों की आवश्यकता होती है। साथ ही इस तथ्य पर बल दिया जाना आवश्यक है कि लोगों के सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक विषयों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। चुनावी हिंसा के रोकथाम के उपाय हिंसा के सबसे आक्रामक क्ष क्षीण रूपों को रोकने में सहायता कर सकते हैं, अपितु चुनावी नेताओं व अभिनेताओं द्वारा विचार की जाने वाली रणनीतियों की सीमा से हिंसा को समाप्त करने के समावेश व बहिष्कार की समजशास्त्रीय संरचनाओं में अधिक परिवर्तन की आवश्यकता है।

इस चुनावी हिंसा व भ्रष्टाचार से निपटने के लिए व्यक्तिगत रूप से व्यक्ति को परम—त्यागी होना पड़ेगा। आज के राजनेता न तो त्याग करने को तयार है और न ही अपने सुख पर कोई आंच आने देना चाहते हैं। इसलिए उनके भीतर जोखिम उठाने की क्षमता भी नहीं है। बिना जोखिम उठाए यह लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती इसलिए भ्रष्टाचार का कोई भी विषय जितनी शीघ्रता से उठता है और उतनी ही शीघ्रता से नीचे या जाता है, इससे किसी को कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

*** * * * ***

<u>संदर्भ सूची</u>
Birch, Sarah. (2007). "Electoral Systems and electoral misconduct" Comparative Political studies 40(12): 1533-1556.
Birch, Sarah, Muchlinski, David (2018). "Electoral violence prevention: What works? <i>Democratization</i> 25(3): 385-403.
Birnin, Johanna Kristin, Gondes, Anita (2018) "Voting in the shadow of violence: Electoral political and conflict", Journal of
global security studies 3(2): 181-197.
Fjelde, Hanne. (2004). "Political party strength and electoral violence": Journal of peace research 57(1): 140-155.
Snyder, Jack (2000). From Voting to Violence: Democratization and Nationalism Conflict, New York, WW Nortan.



राजनीतिक हिंसा

मोहिनी मित्तल

शोधार्थी, जयपुर विश्वविद्यालय, राजस्थान

एक सभ्य समाज में हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं होता। हिंसा बर्बर समाज की निशानी है, वर्तमान भारतीय राजनीति में बढ़ती राजनीतिक हिंसा एक चिंतनीय मुद्दा है, अपने राजनीतिक हितों की पूर्ति के लिए राजनीतिक दलों और अन्य तत्वों द्वारा की जाने वाली हिंसा राजनीतिक हिंसा कहलाती है। बढ़ती राजनीतिक हिंसा भारतीय संविधान, लोकतंत्र व लोकतांत्रिक मूल्यों के विरुद्ध है राजनीति में बढ़ते मतभेद, असहिष्णुता, बढ़ती आक्रामकता और सियासी संघर्ष राजनीतिक हिंसा को जन्म दे रह हैं। जैसे—जैसे राजनीति में अपराधीकरण बढ़ा है, वैचारिक टकराव और गोलबंदी को बढ़ावा मिला है वैसे—वैसे राजनीतिक हिंसा को भी बढ़ावा मिला है। नेशनल क्राइम ब्यूरों के अनुसार 2014 में राजनीतिक हिंसा में 2400 लोग मारे गए, तब से अब तक राजनीतिक हिंसा के शिकार लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इससे जहां एक तरफ जनता का लोकतंत्र में विश्वास कम होता है, वही इससे दूसरी तरफ भय व आतंक का वातावरण बनता है।

भारत में राजनीतिक हिंसा आजादी के बाद से ही देखी जाती है, स्वतंत्रता के बाद विभिन्न राजनीतिक दलों, मुख्यतः वामदलों द्वारा भारत में चुनावी हिंसा को प्रोत्साहन दिया गया। यह चुनावी हिंसा भारत के लोकतंत्र के विरुद्ध थी, जहां एक तरफ सरकार द्वारा देश में लोकतंत्र को सफल बनाने के प्रयास किए जा रहे थे, वही दूसरी तरफ कुछ दल इसे असफल बनाने का लगातार प्रयास कर रहे थे। इसके साथ साथ 1996 तक कई पिछड़े राज्यों में चुनाव के समय बड़े पैमाने पर चुनावी हिंसा देखी गई।

1991 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या राजनीतिक हिंसा का ही परिणाम थी। लोकतंत्र के दौर में कुछ समय काल में भारतीय राजनीति में तानाशाही के गुण भी देखे गए, किसी भी विपक्षी दल द्वारा अथवा विपक्षी नेता द्वारा किसी लोकप्रिय नेता विशिष्ट के विरुद्ध कुछ बोलने पर राजनीतिक हिंसा जैसी घटनाएं देखी गई, कई बार क्षेत्रीय दल अपनी विचारधारा

थोपने के लिए और सत्ता प्राप्ति के लिए दबाव में राजनीतिक हिंसा का सहारा लेते हैं। हालांकि समग्र सोच वाली राष्ट्रीय पार्टियां राजनीतिक हिंसा से अक्सर बचती है, क्योंकि उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर और विभिन्न राज्यों में अपनी छवि और जनमत का भय रहता है।

भारत में वर्तमान में पूर्वोत्तर क्षेत्र, दक्षिण भारत, विशेष तौर पर पश्चिम बंगाल मे राजनीतिक हिंसा की वारदातें सर्वाधिक देखी जाती है। कुछ राजनीतिक दलों द्वारा भी राजनीतिक हिंसा का सहारा लिया जाता है, राजनीतिक हिंसा का सहारा ले कर राजनीतिक दल विपक्षी दलों के नेताओं को निशाना बनाते हैं, उनकी राजनीतिक रैलियों और विभिन्न सरकारी नीतियों को नकारात्मक रूप स प्रभावित करते हैं। चुनावी माहौल में राजनीतिक हिंसा की घटनाएं अक्सर देखी जाती है। माँब लीचिंग पर राजनीतिक दलों की निष्क्रियता कहीं न कहीं दलों की मौन सहमति को दर्शाती है, वर्तमान में पश्चिमी बंगाल में बढ़ रही राजनीतिक हिंसा भारतीय लोकतंत्र के लिए चिंताजनक है। विभिन्न दलों के नेताओं की लगातार हो रही हत्या, विभिन्न राजनीतिक दलों की चुनावी रैलियों पर हो रहे एकमुश्त हमले, एक लोकतांत्रिक देश में चुनावों की पारदर्शिता पर सवाल खड़े करते हैं।

2020 में सिर्फ पश्चिम बंगाल में ही 663 राजनीतिक हिंसा के मामले देख गए। वर्तमान में चुनावी समय में पश्चिम बंगाल में जबरदस्त राजनीतिक हिंसा का प्रयोग हो रहा है। वहां मौजूद क्षेत्रीय दलों द्वारा राष्ट्रीय दलों के विरुद्ध भी राजनीतिक हिंसा की जा रही है, कई दलों के नेताओं को चोट पहुंचाई जा रही है और उनकी हत्या की जा रही है। विवादास्पद बयान बड़े प्रसिद्ध नेताओं द्वारा लगातार दिए जा रहे हैं और लोगों को हिंसा के लिए उकसाया जा रहा है। इससे जवाब में राष्ट्रीय दल भी इस प्रकार की राजनीतिक हिंसा में शामिल हो रहे हैं, एक लोकतांत्रिक देश में इस प्रकार की हिंसा को उचित नहीं माना जा सकता। कुछ राजनीतिक नेताओं द्वारा दी जाने वाली खुलेआम धमकी, बढ़ती चुनावी हिंसा, चुनावी हिंसा के नाम पर फैलने वाली हिंसा लोकतंत्र के लिए खतरनाक है।

राजनीतिक हिंसा भारत के साथ—साथ विश्व के अन्य देशों में भी देखी जा रही है। विशेष तौर पर अफ्रीकी देशों, अविकसित देशों व ऐसे देशों जहां लोकतंत्र और विकास पूरी तरह से नहीं हो पाया है वहां राजनीतिक हिंसा होना आम बात है, दक्षिण एशियाई देशों में राजनीतिक हिंसा आम बात है, चाहे श्री लंका हो, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मालदीप, नेपाल यहां आए दिन राजनीतिक हिंसा की घटनाएं बड़े पैमाने पर देखी जाती है। यह घटनाएं आतंकवाद को भी बढ़ावा देते हैं देश के भीतर अपराधीकरण को बढ़ावा देती है। इस प्रकार की हिंसा किसी भी

देश के लिए, अंतरराष्ट्रीय शांति के लिए सही नहीं है। वर्तमान मे यूरोपीय देशों और अमेरिका जैसे देश में भी राजनीतिक हिंसा कुछ मात्रा में देखी जा रही है। राजनीतिक हिंसा वर्तमान समय में की ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व की समस्या बनती जा रही है।

राजनीतिक हिंसा का एक प्रमुख कारण सत्ता पर वर्चस्व स्थापित करने की प्रवृत्ति है, कुछ राजनीतिक दल हिंसा का सहारा लेकर सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं अपने स्वार्थों को पूरा करना चाहते हैं। लोकतंत्र में अनैतिक साधनों द्वारा जन समर्थन जुटाने की प्रवृत्ति राजनीतिक हिंसा को बल देती है, अपराधीकरण को बढ़ावा देती है, कुछ अपराधिक तत्व व अराजक तत्व अपने स्वार्थों की पूर्ति करने हेतु और अपनी अनुचित और अवैधानिक मांगों को बनवाने के लिए राजनीतिक हिंसा का सहारा लेते हैं।

राजनीतिक दलों द्वारा बाहुबल व हिंसा के जिए अपना दबदबा स्थापित करने के लिए और विरोधी दलों का मनोबल तोड़ने के लिए राजनीतिक हिंसा का रास्ता अपनाया जाता है। जो लोकतंत्र की छिव के लिए खतरनाक है। एक समय में अपनी लोकप्रियता के लिए कुछ सरकारों के द्वारा भी माओवाद के विरुद्ध राजनीतिक हिंसा का सहारा लिया गया, इसे वहां के क्षेत्रीय दलों ने समर्थन भी दिया। कुछ सरकारों ने ऐसा माना कि हिंसा का सहारा लेकर माओवाद को आतंकवाद का समाप्त किया जा सकता। यह उचित तरीका नहीं है।

समाज व राजनीति को बदलने के लिए हिंसा का सहारा लेना उचित नहीं है। यह सकारात्मक राजनीति के विरुद्ध है, लोकतंत्र के विरुद्ध है, हमारे संविधान निर्माताओं और राष्ट्रीय आंदोलन के आदर्शों के विरुद्ध है?। देश के मतदाताओं की भावना पर आघात है। राजनीतिक हिंसा नागरिकों को राजनीतिक व मानसिक दोनों प्रकार की हानि पहुंचाती है और लोकतंत्र पर जनता के विश्वास को कमजोर करती है। राजनीतिक हिंसा कई बार सांप्रदायिक हिंसा का भी रूप ले लेती है। धर्म, जाति और क्षेत्र के नाम पर भी इस प्रकार की हिंसा की जाती है। और कई बार यह एक विराट रूप ले लेती है।

यह क्षेत्रवाद को बढ़ाती है राष्ट्र की एकता अखंडता के विरुद्ध है, संविधान के विरुद्ध है। गलत तरीके से की जाने वाली नजरबंदी भी राजनीतिक हिंसा का एक प्रकार है, कई बार क्षेत्रीय सरकारों द्वारा अपने स्वार्थों की पूर्ति हेतु विपक्षी नेताओं अथवा अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध इस प्रकार की नजरबंदी का सहारा लिया जाता है। राजनीतिक हिंसा आंतरिक अशांति और आतंकवाद, जैसी बुराइयों को भी जन्म देती है।

किसी भी प्रकार के मतभेद को सुलझान के लिए राजनीतिक हिंसा का सहारा लेना उचित नहीं है, किसी भी देश में जनता का लोकतंत्र और लोकतांत्रिक प्रणाली में विश्वास बनाए रखने हेतु लोकतांत्रिक मूल्यों का सम्मान करना, संविधान में विश्वास बनाए रखना, संविधान का पालन करना और सिहष्णुता को अपनाना आवश्यक है। लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए आवश्यक है, कि बढ़ता वैचारिक टकराव हिंसा का रूप बिल्कुल न ले। सद्भावना बड़े। जिस देश में राम राज्य की बात की जाती हो, सुराज व गुड गवर्नेन्स पर बल दिया जाता हो, सद्भावना पर बल दिया जाता है, वहां राजनीतिक हिंसा का सोचना भी बेमानी है।

भारत में साफ—सुथरे, निष्पक्ष, लोकतांत्रिक, हिंसा मुक्त चुनाव कराने का जिम्मा चुनाव आयोग को सौंपा गया है। और इसके लिए चुनाव आयोग लगातार प्रयासरत है, 1996 के बाद से चुनाव आयोग की भूमिका में बदलाव आया है, चुनाव आयोग और मजबूत हुआ है। चुनाव आयोग द्वारा चुनावों में धन के दुरुपयोग को रोकने का, बूथ कैंपचरिंग, हिंसा और आगजनी जैसी घटनाओं को रोकने का चुनाव आयोग लगातार प्रयास कर रहा है। सत्ता पार्टी द्वारा चुनावों के समय अपनी सत्ता के दुरुपयोग से रोकने हेतु और चुनावों में सरकारी मशीनरी का उपयोग, सत्ता दल द्वारा प्रशासन और पुलिस के गलत प्रयोग को रोकने के लिए भी चुनाव आयोग लगातार प्रयास कर रहा है।


पहले के मुकाबले 1996 के बाद पिछड़े क्षेत्रों में बूथ कैपचरिंग और आगजनी की घटनाओं में कमी आई है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में और राज्यों में राजनीतिक हिंसा अभी भी बरकरार है इसे रोकने के लिए चुनाव आयोग को और अधिक अधिकार व शक्ति देने की आवश्यकता है, तािक राजनीतिक हिंसा फैलाने वाले दलों के खिलाफ भी चुनाव आयोग एक सशक्त कदम उठा सके।

राजनीतिक हिंसा के खिलाफ सरकार व प्रशासन द्वारा सख्त कदम उठाए जाने चाहिए। चाहे किसी भी दल का नेता दोषी हो, चाहे वह क्षेत्रीय दल से हो अथवा राष्ट्रीय दल से, सब के खिलाफ सख्त कार्यवाही होनी चाहिए आपराधिक पृष्ठभूमि के नेताओं का चुनावों में प्रवेश रोका जाना चाहिए और राष्ट्रीय एकता सद्भावना व सहिष्णुता पर बल दिया जाना चाहिए।

एक सच्चे लोकतंत्र के लिए हिंसा मुक्त सद्भावना पूर्ण सहयोग पूर्ण राजनीति का होना आवश्यक है। राजनीतिक हिंसा एक बड़ी समस्या है, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है, सभी को

मिलकर इस प्रकार की हिंसा हो रोकने का प्रयास करना चाहिए और इसके विरुद्ध जनता में भी जागृति होनी चाहिए। ऐसा कोई दल जो राजनीतिक हिंसा फैलाए, उसको उसका जनता को भी बिहिष्कार करना चाहिए, साथ ही चुनाव आयोग को भी उसके खिलाफ सख्त कदम उठाने चाहिए।

* * * * *



राजनीतिक हिंसाः कारण एवं निवारण राम किशोर शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय

अधिकांश आधुनिक समाजों में राजनीतिक हिंसा उन सामाजिक तनावों का ही परिणाम होती है, जो उनमें विभिन्न कारणों से उत्पन्न होते हैं। सामान्यतः राजनीतिक हिंसा राज्य की ओर अभिलक्षित होती है क्योंकि राज्य को ही अन्याय और दमन का मुख्य स्रोत समझा जाता है। परिणामस्वरूपः समाज के विभिन्न वर्ग अपनी समस्याओं को हल करने हेतु हिंसा का सहारा ले रहे हैं। राजनीतिक हिंसा एक विचारात्मक राजनीतिक गतिविधि है, जिसके नैतिक दृष्टि से बहुत सही निहितार्थ हैं। राजनीतिक हिंसा के समर्थक इसको नैतिक आधारों पर उचित उहराते हैं। उनका तर्क होता है कि वे अक्षम एवं असफल सरकार के विरुद्ध एवं एक उचित उद्देश्य को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। राजनीतिक हिंसा लोगों के समूह की अपने असंतोष को प्रकट करने के लिए सरकार के विरुद्ध एक सामूहिक हिंसात्मक गतिविधि है। यह सरकार की किसी नीति—विशेष के विरुद्ध विरोध—प्रदर्शन स्वरूप हो सकती है, यह किसी सरकार—विशेष को सत्ता से हटाने के लिए हो सकती है, अथवा इसका प्रयोग राजनीतिक व्यवस्था को परिवर्तित करने के लिए किया जा सकता है।

राजनीतिक हिंसा के कारण

कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में कहा है कि सरकार की ग़लत नीतियाँ और शासकों का अशिष्ट व्यवहार ही प्रजा की बग़ावत को जन्म देता है। सरकार की अनुचित एवं दमनकारी नीतियाँ जनता के मस्तिष्क में रोष उत्पन्न कर देती हैं और लोग उन अनुचित नीतियों को परिवर्तित करने के लिए हिंसक हो उठते हैं। अत्यधिक काराधान, अत्यधिक मूल्य—वृद्धि, शक्ति—प्रयोग में कानून व नैतिकता की अवहेलना, समाज के कुछ निश्चित वर्गों के साथ अन्यायसंगत व्यवहार, राजनीतिक अक्षमता व अराजकता तथा शान्तिपूर्ण आन्दोलन को दबाने के लिए अत्यधिक व अकुशल बल—प्रयोग, आदि हिंसा के आम कारण हैं। कौटिल्य ने दृढ़तापूर्वक कहा कि दरिद्रता, लोभ और असंतोष ही विद्रोह के कारण हैं।

आधुनिक युग में, राजनीतिक हिंसा को प्रसारित करने में विचारधारा ने एक महत्त्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है। विचारधारा लोगों को संघटित करती है और राज्य, व्यक्ति एवं संगठन के विरूद्ध संघर्ष छेड़ने हेतु उन्हें एक निश्चित कारण प्रदान करती है। विचारधारा ही समाज की वर्तमान परिस्थितियों को स्पष्ट करती है और एक बेहतर शासन—व्यवस्था लाने के लिए उसे परिवर्तित करने हेतु लोगों से आह्वान करती है।

विश्व के अधिकांश देशों में ऐसे लोग रहते हैं, जो विभिन्न धार्मिक आस्थाओं से जुड़े हैं और विभिन्न नृजातीय समूहों से संबंध रखते हैं। इसी कारण, अधिकतर देशों में धार्मिक व नृजातीय अल्पसंख्यक दल होते हैं। आधुनिक राज्य उन्हें किसी एक—केन्द्रिक राजनीतिक प्राधिकार के अधीन लाने का प्रयास कर रहा है। धार्मिक व नृजातीय अल्पसंख्यक दल इस प्रयास का विरोध करते हैं, क्योंकि उन्हें भय है कि इस राजनीतिक एकीकरण के कारण उसकी प्रथक पहचान लुप्त हो जाएगी। जिस क्षण इस नीति को सुझाने हेतु बल दिया जाता है, ये समुदाय प्रतिरोध और हिंसा का सहारा लेते हैं।

सांस्कृतिक व नृजातीय अल्पसंख्यक दल अपनी अलग पहचान को बचाकर रखना चाहते हैं। अतः वे अपने अधिकारों को सुनिश्चित व सुरक्षित करना चाहते हैं। ये अल्पसंख्यक दल प्रजाति, भाषा व संस्कृति के आधार पर बनाए जाते हैं। यदि उन्हें भय लगता है तो वे हिंसा अपनाते हैं। कनाडा में क्यूबैक प्रांत, भारत में नागालैण्ड, ग्रेट ब्रिटेन में उत्तरी आयरलैण्ड, रूस में चचेन्स, चीन में तिब्बती और इराक व ईरान में कुर्द इसके उदाहरण हैं। अल्पसंख्यक जातियाँ अपनी पहचान को महत्त्व देते हैं और बहुसंख्यक जातियाँ/दल उनकी राजनीतिक निष्ठा पर संदेह करते हैं। श्रीलंका जैसे कुछ उदाहरणों में, अल्पसंख्यकों के संघर्ष ने पृथक्तावादी हिंसा का रूप ले लिया, जो विद्रोह में फूटा।

हर राज्य में अभिजात वर्ग में कुछ समूह और गुट होते हैं, और ये समूह व गुट सत्ता—राजनीति में लगे रहते हैं। ये समूह व गुट गली—प्रदर्शन, साम्प्रदायिक दंगे व तोड़—फोड़ करवाकर लोगों का समर्थन प्राप्त करने के लिए हिंसात्मक उपायों का प्रयोग करते हैं। सरकार में अच्छी पैठ रखने वाला कोई समूह इस हिंसा को दबाने के लिए राज्य संस्थाओं की दमनकारी शक्तियों का प्रयोग करता है। कभी—कभी असंतुष्ट नेता पृथक्तावादी आन्दोलनों का भी समर्थन कर सकते हैं। अधिकांशतः सैनिक सत्ता—परिवर्तन ऐसे ही विवादों का परिणाम होता है। 1972 के बाद अफ़ग़ान इतिहास, पाकिस्तान और बांग्लादेश में सैनिक सत्ता परिवर्तन इसी प्रकार की राजनीति के

उदाहरण हैं। ये सैनिक सत्ता—परिवर्तन प्रायः बड़े हिंसात्मक होते हैं और व्यापक रक्तपात करवाते हैं।

आर्थिक स्थितियाँ विभिन्न प्रकार की राजनीतिक हिंसा को जन्म देती हैं, ये सरकार की अनुचित नीतियाँ ही हैं जो समाज के कुछ वर्गों की सहायता करती हैं आर लोगों के एक बड़े वर्ग को गरीबी की रेखा से नीचे धकेल देती हैं। सरकार की अनुचित नीतियों के कारण ही बढ़ती मुद्रास्फीति, लोगों का गिरता जीवन—स्तर, मूल्य—वृद्धि, बेरोज़गारी तथा बाजार में अनिवार्य वस्तुओं की अनुपलब्धता होती है। ये कारक ही लोगों को सरकार के विरुद्ध सड़कों पर उतरने एवं हिंसक प्रदर्शनों में भाग लेने को विवश करते हैं। कामगार, कृषक, छात्र व समाज के अन्य वर्ग सरकार की नीतियों के विरुद्ध विरोध करने हेतू प्रदर्शनों में भाग लेते हैं।

राजनीतिक हिंसा, विशेषकर किसी राज्य में पोषित राजनीतिक हिंसा निरंतर उन निकटवर्ती देशों से समर्थन प्राप्त करती है, जो विद्वेष रखते हैं। बाहरी देश शस्त्र, धन, प्रशिक्षण व आश्रय के रूप में समर्थन देता है। उदाहरण के लिए, जम्मू—कश्मीर में राजनीतिक हिंसा को पाकिस्तान द्वारा समर्थन दिया जाता है। अमेरिका ने क्यूबा में राजद्रोहियों को समर्थन दिया और लीबिया व इराक पर इस्लामिक आतंकवादी नेटवर्क को समर्थन देने का दोष लगाया जाता है। राजनीतिक हिंसा के विभिन्न रूप देखने को मिलते हैं, जो कि लोग सरकार के विरुद्ध अपने असंतोष को दर्शाने के लिए प्रयोग करते हैं। यह किसी हिंसक प्रदर्शन का रूप ले सकता है अथवा यह कोई युगान्तरकारी क्रांति हो सकती है, जैसे 1789 की फ्रांसीसी क्रांति।

राजनोतिक हिंसाः उदय एवं स्वरूप

सामान्यतः, लोग हिंसा का सहारा तब लेते हैं, जब उनको उपलब्ध सभी सांवैधानिक उपाय विफल हो जाते हैं, लोगों के हिंसक विरोध—प्रदर्शन विभिन्न रूप ले लेते हैं। एक असंगठित उत्तेजित भीड़ व्यापक क्षति पहुँचा सकती है, क्योंकि विद्रोही सरकारी प्राधिकार—प्रतीकों पर हमला करते हैं, जैसे सरकारी कार्यालय, रेलवे व बसें। वे सरकार के सामान्य कामकाज को भंग करने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार की हिंसा स्वभावतः यत्र—तत्र घटित होती है और वह अपना विरोध प्रदर्शित करने के पश्चात समाप्त हो जाती है। परन्तु, इन हिंसक दंगों के कारण से, सरकारें हिंसा का प्रसार रोकने हेतु अपनी नीतियाँ सुधारने को प्रवृत्त होती हैं। वे समूह जो सुसंगठित होते हैं, सरकार के विरुद्ध लोगों को संघटित करते हैं और विरोध के विभिन्न तरीके अपनाते हैं। वे कार्य—स्थगन, 'बंद', व 'हड़ताल' आदि की घोषणा कर देते हैं। यदा—कदा वे

हिंसक प्रदर्शनों व मोर्चों का आयोजन करते हैं। यदि सरकार का केन्द्रीय प्राधिकरण कमज़ोर है और उसमें न्यायशीलता का अभाव है, तो एक सुसंगठित प्रदर्शन सरकार को गिरवा सकता है। परन्तु ऐसा कदाचित् ही होता है। अन्यथा, उत्तेजित भीड़ों के हिंसक विरोध—प्रदर्शनों का प्रभाव स्वभावतः अस्थायी होता है, क्योंकि सरकार उसे नियंत्रित करने के लिए दमनकारी कदम उठाती है।

आधुनिक युग में, आतंकवाद राजनीतिक हिंसा का एक महत्त्वपूर्ण रूप बन गया है क्योंकि एक बड़ी संख्या में युवाजन सरकार में परिवर्तन लाने के लिए आतंकवादी गुटों में शामिल हो जाते हैं। आतंकवादियों द्वारा आतंकवाद का हथियार इसीलिए प्रयोग किया जाता है कि वे राज्य के विरुद्ध खुला युद्ध नहीं छेड़ सकते, क्योंकि राज्य के पास उसके नियंत्रण के लिए श्रेष्ठ शक्ति होती है। परन्तु आतंकवादी हिंसक उपाय अपनाने को दृढ़प्रतिज्ञ होते हैं, क्योंकि उनका मत है कि विरोधी बन्दूक की ही भाषा समझते हैं। समाज में भी उनकी सत्ता बन्दूक पर ही निर्भर होती है। आतंकवादी राज्य प्राधिकरणों को सबक सिखाने के लिए सभी प्रकार के उपाय अपनाते हैं। उनकी गतिविधियाँ किसी पुल को उड़ा देने अथवा किसी बाँध की दीवार को तोड़ देने से शुरू होती हैं।

विद्रोह व राजद्रोह आम असंतुष्टि के कारण ही होते हैं। विद्रोह समाज के कुछ निश्चित वर्गों के क्रोध को प्रकट करते हैं और सरकार की नीतियों को परिवर्तित करने अथवा सरकार में परिवर्तन पर अभिलक्षित होते हैं। विद्रोह देश के विभिन्न भागों में हो सकते हैं और विद्रोहियों की माँगें नितान्त जातीय हो सकती हैं। विद्रोह आगे चलकर राजद्रोह में प्रकट हो सकता है। राजद्रोह विद्रोह की दूसरी अवस्था इस अर्थ में है कि इस चरण में, राजद्रोही वैचारिक रूप से प्रतिबद्ध होते हैं और वे भावी समाज का सपना विकसित कर चुके होते हैं। समाजवादी अथवा राष्ट्रवादी विचारधारा के कारण, उन्हें बड़ी संख्या में जन—समर्थन प्राप्त होता है।

आंतरिक युद्ध केन्द्र—सरकार बलों व अलगाववादी शक्तियों के मध्य लड़ा जाता है। यह जनता के कुछ वर्ग—विशेषों द्वारा विद्रोह अथवा लोगों के व्यापक जन—समूह द्वारा राजद्रोह हो सकता है। 1860 के दशक में, अमेरिका में दासता—उन्मूलन के मसले पर उत्तरी व दक्षिणी राज्यों के बीच एक गृह—युद्ध देखा गया। आंतरिक युद्ध समान रूप से विध्वंसकारी है और यह व्यापक विनाश और जनसंहार को जन्म दे सकता है। लेबनान, यूगोस्लाविया, नाइजीरिया व भारत में हिंसक आंतरिक युद्ध आदि उदाहरण हमारे सामने हैं। इस प्रकार, आधुनिक युग में राजनीतिक हिंसा विभिन्न रूप रखती है।

उदारवादियों व सुधारवादियों का मत है कि सामाजिक व राजनीतिक व्यवस्था में आवश्यक सुधारों को अपनाकर राजनीतिक हिंसा पर काबू पाया जा सकता है। उनका दावा है कि राजनीतिक हिंसा हमारी सामाजिक व राजनीतिक प्रक्रिया का एक भाग है और यह राज्य-हिंसा के प्रति एक विषघ्न के रूप में व्यवस्था में ही स्थापित है। अतः यह आवश्यक है कि सरकार लोगों के असंतोष व क्रोध को कम करने हेतु उपचारी उपाय अपनाए। सामाजिक व आर्थिक शिकायतों को इन दोनों क्षेत्रों में आवश्यक सुधारों का सूत्रपात करके दूर किया जा सकता है। इनमें शामिल हैं— लोगां को अवसर की समानता प्रदान करना, कर—भार को कम करना, धन—सम्पत्ति का साम्यिक वितरण तथा राज्य व समाज द्वारा थोपी गई सभी निर्योग्यताओं का निराकरण।

राजनीतिक हिंसा स्वयं राजनीतिक प्रक्रिया में ही स्थापित है, क्योंकि राज्य बल—प्रयोग पर एकाधिकार करने का प्रयास करता है। राजनीतिक हिंसा के विभिन्न कारण हैं, परन्तु सरकार की वैधता का लोप और समाज के विभिन्न वर्गों की माँगों को समाहित करने हेतु राजनीतिक व्यवस्था की अक्षमता ही महत्त्वपूर्ण कारण हैं। धार्मिक व नृजातीय मतभेद भी हिंसा उकसाने में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राजनीतिक हिंसा विभिन्न रूपों में दिखती है, जैसे उपद्रव, छुट—पुट हिंसा और आंतरिक युद्ध। आधुनिक युग में, क्रांति राजनीतिक हिंसा का एक प्रयोजनीय रूप है, क्योंकि वह समाज की सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक संस्थाओं को आधारभूत रूप से पुनर्संरचित करने का पयास करती है। राज्य हिंसा पर नियंत्रित करने के लिए विभिन्न उपाय अपनाता हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था के समर्थक यह दावा करते हैं कि लोगों की शिकायतों का प्रतिकार करके, व्यवस्था का सुधार करके और ऐसे संवैधानिक उपचारों को युक्तिपूर्वक सोचकर, जो सामाजिक व राजनीतिक विवादों का शांतिपूर्ण हल प्रस्तुत करके ही हिंसा पर नियंत्रित पाया जा सकता है।

*** * * * ***



राजनीतिक हिंसा बनाम हिंसा की राजनीति


जया ओझा

शोधार्थी , राजनीतिक विज्ञान विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय

"आज जाने किस हिंस्त्र डर ने! देश को बेखबरी में डँस लिया!! संस्कृति की चेतना मुरझा गई! मिर्गी का दौरा पड़ा, इच्छा शक्ति बुझ गई!!"

प्रसिद्ध हिंदी किव सिवदानंद हीरानंद वात्स्यायन 'अज्ञेय' द्वारा यह शरणार्थी नामक किवता की रचना उस समय की गई जब भारत एवं पािकस्तान का विभाजन हो रहा था। अज्ञेय उस विभाजन के समय पंजाब में हो रहे रक्तपात के साक्षी बने। वहाँ हो रही हिंसा का उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि इस क्षेत्र का मिर्गी के दौरे ने जकड़ लिया है जिस पर नियंत्रण पाने का कोई भी मार्ग स्पष्ट नहीं था। वर्तमान में जिस प्रकार राजनीति में हिंसा की घटनाएँ अथवा हिंसक राजनीति निरंतर बढ़ रही हैं यह भयानक रक्तपात हमें अज्ञेय के शब्दों को याद दिलाता है...' हमारा समाज मिर्गी से पीड़ित है'। प्रस्तुत लेख के द्वारा लोकतंत्र में राजनीतिक हिंसा एवं हिंसा की राजनीति को समझने का प्रयास किया जाएगा तथा निरंतर बढ़ रहे राजनीतिक हिंसा के कारणों को देखने का प्रयास किया जाएगा।

विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा हिंसा को शारीरिक बल अथवा शक्ति का प्रयोग अपने विरुद्ध या किसी अन्य व्यक्ति एवं समुदाय के विरुद्ध जानबूझ कर उपयोग किए जाने के रूप में परिभाषित किया गया है। जिसका परिणाम मृत्यु, मनोवैज्ञानिक हानि, कुप्रबंध व अभाव के रूप में देखा जा सकता है। किसी भी व्यक्ति, समुदाय को भौतिक रूप से हानि पंहुचाने वाले आचरण को हिंसा कहा जा सकता है। वर्ल्ड रिपोर्ट ऑन वोइलेंस एंड हैल्थ द्वारा हिंसा को तीन वर्गों में विभाजित किया गया है....



आत्म-निर्देशित हिंसा:- आत्म-निर्देशित हिंसा मुख्यतः वह हिंसा है जिसके अंतर्गत व्यक्ति स्वयं को क्षति पंहुचाने अथवा आत्मघाती जैसे विचारों को उत्पन्न करता है।

अंतर्वेयक्तिक हिंसा:— अंतर्वेयक्तिक हिंसा एक पारस्परिक हिंसा है जो परिवार के मध्य या किसी संबंध के मध्य उत्पन्न होता है। इस श्रेणी के अंतर्गत यौन हिंसा, बल हिंसा जैसे स्वरूप सम्मिलित होते हैं।

सामूहिक हिंसा:— समूहिक हिंसा का प्रयोग ऐसे लोगों द्वारा किया जाता है जो किसी राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक विषयों को प्राप्त करना चाहते हैं। इसके अंतर्गत आतंकवाद, राजनीतिक संघर्ष एवं हिंसक राजनीतिक जैस तत्व समाहित होते हैं।

मुख्यतः हिंसा सामाजिक तनावों के कारण जन्म लेती है, वहीं समाज के विभिन्न वर्ग भी अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए कतिपय हिंसा का सहारा लेते हैं। सरकार की अनुचित नीतियों के विरुद्ध समाज के कुछ वर्गों द्वारा कई बार हिंसा का प्रयोग किया जाता है।

राजनीतिक हिंसा

हन्ना आरेंट का मानना है कि संगठित राजनीतिक जीवन के इतिहास में मनुष्य द्वारा बनाए गए प्रत्येक समाज के भीतर हिंसा की अहम भूमिका रही है। राजनीतिक हिंसा का विश्लेषण करने के लिए सर्वप्रथम यह समझना आवश्यक है कि इसके अंतर्गत 'राजनीति' क्या है? राजनीति की अवधारणा को एक घटक के रूप में विभिन्न प्रकार से परिभाषित किया गया है, उदाहरणतः सरकार, राज्य, सत्ता, एवं वर्ग संघर्ष इत्यादि। मैक्यावली, सी. राइट मिल्स, मोर्गेंथ्यू आदि जैसे विचारकों द्वारा राजनीति को 'शक्ति के लिए संघर्ष' के रूप में परिभाषित किया गया। यद्यपि शक्ति की अवधारणा को प्रायः नकारात्मक रूप से देखा जाता है, परंतु हन्ना अरेंट शक्ति को परिभाषित करते हुए इसे सहमित के आधार पर शक्ति का नाम देते हुए प्राधिकरण से जोड़ने का प्रयास करती हैं।

समकालीन समय में, सरकार के स्वरूप में परिवर्तन एवं सामाजिक आधार में परिवर्तन के लिए की गई क्रांति को राजनीतिक हिंसा के रूप में विश्लेषित किया जाता है। राजनीतिक हिंसा प्रायः एक वैचारिक राजनीतिक गतिविधि है। जो समान्यतः राज्य व उनकी संस्थाओं के विरुद्ध दिशा—निर्देशित होती है। राजनीतिक हिंसा के प्रमुख कारणों में विचारधारा, नृजातीय व धार्मिक संघर्ष एवं राजनीतिक संघर्ष इत्यादि सम्मिलत है।

हिंसा की राजनीति

हिंसा की राजनीति राजनीतिक लाभ की पूर्ति के लिए दलों द्वारा नियोजित किया जाता है। राजनीतिक दल प्रायः अपनी राजनीति को सफल बनाने के लिए हिंसा का सहारा लेते है। भारतीय लोकतन्त्र के समक्ष एक विसंगति यह है कि राजनीतिक दलों द्वारा अपने वर्चस्व को स्थापित करने के लिए धन—बल एवं हिंसा को अपना सहारा बना लिया जाता है। इसलिए प्रत्येक राजनीतिक दल अपने कार्यकर्ताओं के अपारधिक प्रवृत्ति को छिपाने का प्रयास करता है। उदाहरणतः बंगाल में हिंसा की राजनीति। यद्यपि दलों के शीर्ष नेतृत्व द्वारा ही हिंसा को निरंतर बढ़ावा दिया जा रहा है।

आय दिन हिंसक गतिविधियों ने बंगाल की राजनीति को अपने वश में कर लिया है जिससे न केवल लोगों के जीवन को क्षति पंहुच रही है, अपितु जनता का विश्वास लोकतन्त्र एवं सरकार दोनों पर निरंतर घटता हुआ प्रतीत हो रहा है। किसी भी देश में राजनीतिक दलों के बीच वैचारिक संघर्ष एक स्वाभाविक प्रक्रिया होती है परंतु इसका हिंसक स्वरूप लेना भयनीय है। हिंसा की राजनीति को बढ़ावा देने के विपरीत एक शुद्ध राजनीति को स्थान देना महत्वपूर्ण है। कई बार हिंसा को राजनीतिक रूप से वैध बता दिया जाता यह भी केवल राजनीतिक लाभ के लिए ही किया जाता है। इस भयावह प्रवृति पर अंकृश लगाने की आवश्यकता है।

वर्तमान युग में ऐसा प्रतीत होता है की 'तंत्र' अधिक सुदृढ़ हुआ है, वही 'लोक' निर्बल हुआ है। लोकतन्त्र में निरंतर बढ़ रही हिंसा की घटनाओं ने लोक को प्रभावित किया है। अनैतिक प्रणालियों के माध्यम से जन—समर्थन जुटाने की प्रवृति ने राजनीतिक हिंसा एवं हिंसा की राजनीति को बढ़ाया है। जिसके कारण यह सत्य प्रतीत हो रहा है कि हमारे समाज को हिंसा नामक मिर्गी के दौरे ने उस लिया है, जिसका हल निकालना असंभव हो रहा है। हमारे देश में सांप्रदायिक दंगों से अधिक लोग राजनीतिक संघर्ष में मारे जाते हैं। राजनीति में निरंतर असहिष्णुता बढ़ती जा रही है जो हिंसा के नए—नए आयामों को जन्म दे रही है।

*** * * * ***



राजनीतिक हिंसा का परिवर्तित समकालीन रूप रजनी

शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय

भारत लोकतांत्रिक देश है जिसमें जनता को विरोध प्रदर्शन आए दिनों को मिलता रहता है फिर भले ही वह हुए किसी गैंग रेप को लेकर मिला हित में हो, या बेरोजगारी को लेकर युवा के भविष्य के हित में हो तो वहीं किसानों क्षरा किए संघर्ष के माध्यम से जनता के भोजन के लेकर हो तो नागरिकता को प्राप्त करने को लेकर हो या शासन, सत्ता को प्राप्त करने के लिए हो, विषय के लिए हिंसा और अंहिसा का ही मार्ग स्वीकार किया गया है। इसे ही भारत की स्वतंत्रता का मूल भी माना जाता है जिस पर बड़े ही कान्तिवीर लोगों ने जन्म लिया और मृत्यु को प्रापत हुए। इसी प्रकार इन सभी विषयों के संकलन को राजनीतिक हिंसा के नाम से संबोधित किया जाता है।

राजनीतिक हिंसा वह हिंसा है जो राजनीतिक लक्ष्यों को पाप्त करने के लिए लोगों या सरकारों द्वारा की जाती है। इसमें कई प्रकार की हिंसा को शामिल देखा जा सकता है जिसमें एक राज्य द्वारा अन्य राज्यों के या गैर—राज्यों के विरुद्ध हिंसा का प्रयोग किया जा सकता है। गैर—राज्य अभिनेताओं में सबसे प्रमुख उल्लेखनीय पुलिस कूरता को या नरसंहार के विरुद्ध प्रयोग किया जाता है। यह राजनीतिक रूप से प्रेरित हिंसा का भी प्रदर्शन और वर्णन कर सकता है जिसका उपयोग गैर—राज्य अभिनेताओं द्वारा एक राज्य में होने वाले विद्रोह, दंगा, देशद्रोह या सत्ता पलट के विरुद्ध किया जाता है या यह हिंसा का वर्णन कर सकता है जो अन्य गैर—राज्य अभिनेताओं के विरुद्ध प्रयोग किया जाता है। सरकार की ओर से गैर कार्यवाही को राजनीतिक हिंसा के रूप में भीं चित्रित किया जा सकता है, जैसे कि अकाल को कम करने में असफल होना या प्रयास न करना, या अन्यथा अपने क्षेत्र के भीतर राजनीतिक रूप से पहचान योग्य समूहों को मिलने वाले संसाधनों से वंचित करना भी इसका मुख्य कारण हो सकता है।

सत्ता के असंतुलित होने के कारण जो राज्य और गैर-राज्य अभिनेताओं के मध्य उपस्थित हैं, राजनीतिक हिंसा सामान्यतः अतुल्यकालिक युद्ध का रूप ग्रहण कर लेती है, वह रूप भी ऐसा होता है जहाँ न तो एक पक्ष के माध्यम से अन्य पक्ष पर प्रत्यक्ष रूप से हिंसा कर पाने में क्षमतावान होता है, अपितु आतंकवाद, और गुरिल्ला युद्ध जैसी रणनीति पर विश्वास करता है और यह भी हो सकता है कि साधारणतया नागरिक या अन्यथा गैर—लड़ाकू उद्धेश्यों पर हिंसा सम्मिलित होती है जिन्हें विरोधी गुट के लिए अनुमानित माना जाता है। कई समूहों और व्यक्तियों का विचार है कि हिंसा मात्र उनके राजनीतिक उद्धेश्यों को प्राप्त करने के लिए ही उचित नहीं है अपितु अवश्यकता भी है। इसी प्रकार विश्व भर की सरकारें इस बात पर सहमित व्यक्त करती है कि उन्हें अपने लोगों को परिचित बनाने के लिए हिंसा का प्रयोग करने की आवश्यकता है। अन्य समय में, सरकारें अपने देशों को बाहरी आकमणों या शक्ति के अन्यों खतरों से बचाने के लिए बल का प्रयोग करती है और अन्य सरकारों पर दबाव डालती है और क्षेत्र पर विजय प्राप्त करती है।

परंतु इस प्रकार की हिंसा में भारतीय हिंसा या यों कहे कि भारतीय विचारधारा में हिंसा का क्या प्रारूप रहा है और किस नेता या सरकार के माध्यम से इसको हिंसा का रूप दिया गया और किसके युग में हिंसा का रूप देखा गया। 1857 की कान्ति के उपरांत से ही हिंसा का रूप देखने को मिला है परंतु वह रूप राष्ट्रवाद, जातिवाद, लैंगिकता इत्यादि के रूप में ही अधिकतर देखने को मिला है फिर वह विनायक दामोदर सावरका हो या महात्मा गांधी या फिर पेरियार हो, पण्डिता रमाबाई हो, मानवेन्द्र नाथ रॉय, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, मोहम्मद इकबाल, बाल गंगाधर तिलक, अरविंदो अकयोद घोष, इत्यादि ऐसे कई विचारक है जो हिंसा करने पर बल देते हैं परंतु इन सभी की हिंसा करने के माध्यम और भिन्न है कुछ हिंसा को अहिंसा के माध्यम से करने के पक्षधर है तो कुछ हिसां को हिंसा के माध्यम से। परंतु समकालीन युग में यह इनके द्वारा बताई गई हिंसा किस प्रकार की हिंसा को प्रोत्साहित करती है।

कुछ ही समय पहले किसान आंदोलन जो की शांतिपूर्वक होने के उपरांत हिंसात्मक रूप धारण करके विरोध को प्रदर्शित कर रहा था तो वहीं इस प्रकार की हिंसा के प्रभाव चुनावों पर भी प्रत्यक्ष रूप से देखने को मिलते हैं वैसे तो चुनावी दौर एक अलग ही दौर देखा जाता है जहाँ वह सब भी देखा जा सकता है जो यथार्थ में घटित ही न हुआ हो या जो होता है उसका रूप ही परिवर्तित कर दिया जाता है। जिसे अभी हाल ही के पश्चिम बंगाल में होने वाले चुनावों पर देखा जा सकता है। पश्चिम बंगाल में मतदान के प्रथम चरण के दो दिन उपरांत सोमबार को बशीरहाट जिले में हिंसा की पहली घटना सामने देखने को मिली जहाँ तृणमूल काँग्रेस अर्थात टीएमसी और भारतीय धर्मनिरपेक्ष मोर्चा अर्थात आईएसएफ के मध्य हुए टकराव में एक महिला

और बच्चे सहित का से कम 14 लोग घायल हो गए थे। दोनों दलों ने हिंसा के लिए एक—दूसरे को उत्तरदायी उहराया। जिसमें आईएसएफ से दोष लगाया कि रविवार की रात टीएमसी कार्यकर्ताओं के समूह ने अचानक उन पर हमला किया। यद्यपि टीएमसी ने दोषित होने से स्पष्ट रूप से अस्वीकार किया की 4 टीएमसी कार्यकर्ताओं को आईएसएफ कार्यकर्ता द्वारा पीटा गया था। दोनों पक्षों ने बशीरहाट पूलिस जिले के समक्ष शिकायत दर्ज कराई कराई थी। 27 मार्च को मतदान का प्रथम चरण चल रहा था तो भाजपा के सुवेंदु अधिकारी के भाई सौमेंदु अधिकारी की कार पर दक्षिण कंठी में हमला किया गया था। हालांकि उस समय भाजपा नेता सौमेंदु कार में उपस्थित नहीं थे जिसके लिए दल ने टीएमसी को दोषी उहराया गया।

इसी प्रकार ममता बनर्जी को लगने वाली चोट को भी राजनीतिक रूप देने का प्रयास किया गया था। पश्चिम बंगाल में पिछले कुछ दिनों चुनावों के दौरान और तृणमूल काँग्रेस और भाजपा कार्यकर्ताओं के मध्य पिछले कुछ समय में जिस प्रकार की हिंसा घटित हुइई है उससे एक घायल ममता बनर्जी के दृश्य को चुनावी रूप दिया जा सकता है। उस घटना के कई संस्करण है जिसके माध्यम से ममता बनर्जी द्वारा नंदीग्राम में चुनाव प्रचार के समय अपने कंघे, गर्दन और कमर पर चोट के चिन्ह और अपने बाएं पैर में फैक्चर कर लिया, जहाँ से उन्होंने अपना 10 मार्च को अपना नामाकंन पत्र दाखिल कर लिया। इस पर ममता बनर्जी दे दावा किया कि घटना एक साजिश थी।

अन्य टीएमसी नेताओं के द्वारा इसे भाजपा के दल पर आरोपित करने का भरपूर प्रयास किया, जो कि ममता बनर्जी के प्रमुख प्रतिद्वंदी के रूप में उभरक हुए देखने को मिला है। पश्चिम बंगाल में भाजपा की वृद्धि आश्चार्यजनक देखने को मिली है। 2016 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में मात्र 3 सीटें विजयी होकर प्राप्त की थीं। ममता बनर्जी और अन्य टीएमसी नेताओं ने 2019 के लोकसभा चुनाव तक बंगाल बीजेपी को अपमानित करके रद्ध कर दिया था, जिसमें उसके माध्यम से उसने लोकसभा की 18 में से 18 सीटों पर टीएमसी के चार कम लेकिन सत्तारूढ़ दल के अधिपत्य को चुनौती देते हुए विजयी प्राप्त की।

टीएमसी ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर प्रश्न उठाते हुए दोषी बताया था कि आदर्श आचार संहिता अर्थात एमसीसी के कारण पोल निकाय सामान्य प्रशासन के प्रभारी है, जिसके कारण यह सीएम ममता बनर्जी की रक्षा करने में असफल रहा था। वहीं टीएमसी के द्वारा ममता बनर्जी के घाव को हाल ही में चुनाव आयोग द्वारा डीजीपी आर एडीपी अर्थात लॉ एण्ड ऑर्डर सहित शीर्ष पुलिस अधिकारियों को हटाने से संबंधित बताया था। इनके द्वारा लगाए गए आरोप कि नंदीग्राम

की घटना ममता बनर्जी की जान लेने की गहरी साजिश थी। तो वहीं चुनाव आयोग ने इस बात को खारिज करते हुए कहा कि टीएमसी द्वारा लगाए गए सभी आरोंप एक अपमान है। आयोग ने स्पष्ट कहा कि यह एक विशेष राजनीतिक दल माध्यम से किए जा रहे थे और सभी दोषों का उत्तर देना आवश्यक नहीं समझता।

इस प्रकार कहा जा सकता है हिंसा जो कि किसी भी व्यवस्था को चरमरा सकती है और नैतिकता की सीमा को लांघ कर अनैतिक पथों को माध्यम अपना सकती है वैसे तो यह कोई नई बात नहीं है इस प्रकार की राजनीति हिंसा का उच्च स्तर इंदिरा गाँधी की के शासन के सम पर भी देखने के मिलता है जहाँ का शासन प्रधानमंत्री के हाथों में पूर्णरूप से होते हुए वह शासन लोकतांत्रिक न होकर राजतंत्र में परिवर्तित होता दिखा जहाँ जनता के हित में शासन न होता हुआ देखा गया जिसके बाद जनता ने अपना विरोध भी दर्शाया जहाँ शासन के माध्यम से हिंसा को कानूनी रूप दिया गया तो वहीं जनता के द्वारा किया गया विरोध भी हिंसात्मक और हिंसात्मक दोनों ही देखने को मिला।

निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि राजनीतिक हिंसा यो तो नैतिक रूप से सही मार्ग की ओर प्रशस्त होते हुए नहीं दिखती क्योंकि इस राजनीतिक हिंसा में प्रयोग किए गए माध्यम और साधन दोनों ही अधिकतर समय में अनैतिक साधनों का माध्यम अपनाया जात है परंतु कई बार इस प्रकार के राजनीतिक हिंसा का मार्ग प्रशसत करने के पीछे का उद्धेश्य बड़े परिवर्तन की ओर जाता है जिनका होना अति आवश्यक है परंतु इन परिवर्तनों के साथ होने वाली गंदी राजनीति जिसका न कोई मोड़ नहीं होता जो मात्र हिंसा को प्रोत्साहित करत है उनपर प्रतिबंध लगना आवश्यक है। क्योंकि इस प्रकार के तत्त्व देश में अराजकता फैलाने के साथ ही देश के विकास में अवरोधक तत्त्वों का कार्य करते है जिनके कारण जनता भ्रमित होती है और सही गलत को चुन पाने में असमर्थ हो जाती है।

* * * * *

<u>संदर्भ सूची</u>
https://www.msn.com/en-in/news/newsindia/side-effects-of-mamata-banerjees-plastered-leg-in-bengal-election.
https://www.republicworld.com/india-news/general-news/tmc-isf-clash-in-basirhat-in-another-case-of-political-violence-in-poll-bound-west-bengal.html.



राजनीतिक हिंसाः लोकतांत्रिक व्यवस्था पर कुठाराघात

प्रियंका बारगल

शोधार्थी, अर्थशास्त्र अध्ययनशाला, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर, (म.प्र.) हितेन्द्र बारगल

सहायक प्राध्यापक, शासकीय महाविद्यालय, गुनौर, जिला पन्ना, (म.प्र.)

वर्तमान परिस्थितियों में अगर हम भारत देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर बात करें, तो हम पाते हैं, कि भारत देश में जहां वर्तमान में "तंत्र" मजबूत हुआ है, वहीं कहीं ना कहीं "लोक" की ताकत में कमी देखने को मिली है। हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, जहां राजनीतिक दलों को मान्यता भी जनता द्वारा प्राप्त होती है तथा राजनीतिक शक्ति भी आम जनता कि ही देन होती है। लोकतंत्र का सही अर्थ, अभिव्यक्ति क माध्यम से देखने को मिलता है। भारत जैसे विशाल देश में जहां, राजनीतिक दलों की अधिकता देखने को मिलती ह, वही इन दलों के बीच अपनी—अपनी पार्टी को संचालित करने हेतु विचारधाराओं में भी भिन्नता देखने को मिलती है। चुनावी वर्ष में या ऐसे भी आम परिस्थितियों में विभिन्न राजनीतिक दलों में, अपने मत को लेकर वैचारिक मतभेद एवं आरोप—प्रत्यारोप आम बात है, किंतु जब यही वैचारिक मतभेद उग्र रूप धारण करते हुए, हिंसा का रूप ले तो, यह किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए कुटाराघात से काम नहीं है। आज किसी भी राजनीतिक दल के सदस्यों को हम देखे हैं, तो हम पाते हैं कि कहीं ना कहीं आपराधिक प्रवृत्ति के लोग राजनीति में अपनी पैठ जमा चुके हैं। आज एक दल द्वारा दूसरे दल के विरुद्ध बाहु बिलयों के माध्यम से अपना वर्चस्व कायम तथा स्थापित किया जाता है।

इन तथाकथित असामाजिक तत्वों द्वारा आम जनता के मध्य भी भय का वातावरण निर्मित किया जाता है, जिससे लोगों का लोकतंत्र में विश्वास कम होने लगता है। ऐसी परिस्थितियों में आम जनता भले ही पांच वर्ष येन—केन प्रकारेण समय व्यतीत भी कर ले, किंतु पांच वर्षों के पश्चात जनता का भी धैर्य जवाब दे जाता है, तथा जनता बदला लेने से नहीं चुकती तथा इसका प्रत्यक्ष प्रभाव मतदान पर दिखाई पड़ता है। राजनोतिक हिंसा का सीधा असर अनैतिक साधनों का का उपयोग करते हुए, जन समर्थन जुटाने पर होता है। वर्तमान में तो राजनीति हिंसा बढ़ती ही जा

रही है। संसद कायवाही को देखने पर पता चलता है, कि तथाकथित नेता किस प्रकार अपनी बातों का समर्थन करते है तथा विपक्ष कि बात सही होते हुए भी, उसका परजोर विरोध किया जाता है। आजकल संसद में प्रस्ताव फाड़ना, चिल्लाना, बहस करना, जूते फेंकना आम बात हो गई है, जो कि संसद की मर्यादा को तो भंग करती ही है साथ ही साथ लोकतंत्र पर भी प्रहार करती है।

प्राचीन समय की बात करें, तो पहले बड़े—बड़े अमीर व्यक्ति भी अपना शानदार करियर, नौकरी की परवाह किए बिना केवल देश—सेवा करने के उद्देश्य से राजनीति में आते थे किंतु अब तो राजनीति खुद पैसा कमाने का अखाड़ा बन गई है, जहां जिस इंसान में जितनी अधिक ताकत, जो जितनी अधिक हिंसा करता है, विजय उसो की होती है। आज कुछ राजनेताओं द्वारा राजनीति को देश—सेवा का माध्यम नहीं, बिल्क स्वयं की सेवा का आधार मानकर अपनाया जाता है। ऐसे ही तथाकथित नेताओं द्वारा अपनी स्वार्थ—पूर्ति के लिए दंगे करवाना, आम जनता के बीच झगड़े करवाना, आम जनता को पैसों का लालच दकर गलत कार्यों में संलिप्त करवाने जैसे धिनौने काम भी करवाए जाते हैं, जिससे जहां एक और सांप्रदायिक हिंसा बढ़ने का खतरा पैदा हो जाता है, वही यह देश की सुरक्षा के लिए भी उचित नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ऐसे में विदेशों ताकतों द्वारा देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने के अवसर बहुत सीमा तक बढ़ जाते हैं, जो देश की आंतरिक सुरक्षा के साथ—साथ बाहरी सुरक्षा हेतु भी उचित नहीं कहे जा सकते।

राजनीतिक हिंसा की वर्तमान परिस्थित को देखें, तो हमारे सामने कई उदाहरण प्रस्तुत होते हैं—जैसे कि हाल ही में, पश्चिम बंगाल की हिंसा, छत्तीसगढ़ की नक्सलवादी हिंसा। इन हिंसा से जहां लोकतंत्र की महिमा को ठेस पहुंची है, वहीं आम जनता में भी भय व्याप्त हुआ है, ऐसा होने पर हमेशा से यही होता आया है, कि विपक्ष द्वारा पूरे मामले का संज्ञान तो नहीं लिया जाता है, बल्कि पूरा दोषारापण सत्तारूढ़ दल पर डाल दिया जाता है और फिर बयान बाजी ,उल्टे—सीधे सवाल—जवाब का अंतहीन सिलसिला समस्या को और अधिक उलझा देता है। होना तो यह चाहिए कि विपक्ष तथा पक्ष दोनों को एक साथ मिलकर हर समस्या का समाधान ढूंढना चाहिए। संयम और धैर्य दोनों पक्षों के लिए आवश्यक है, अगर केवल एक पक्ष शांति रखे और दूसरा पक्ष अशांति रखे, तो किसी भी समस्या का हल निकल पाना दूर की कौड़ी ही प्रतीत होगा। आज राजनीति में यही देखने को मिल रहा है, कि असहिष्णुता के कारण कोई किसी कि बात सुनने में रुचि नहीं रखता। छोटी—छोटी बात को तूल देने में कोई भी पीछे नहीं हटता।

जरा—जरा सी बात पर लोग, राजनेता कार्यकर्ता, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने में भी नहीं हिचिकचाते। राजनीतिक हिंसा रूपी कढ़ाई में धर्म का तड़का इस आग को और अधिक भड़काने का काम करता है तथाकथित विकास के नाम पर नेताओं द्वारा जाति ,धर्म की आड़ में जो हिंसा करवाई जाती है, उस खतरनाक प्रवृत्ति पर अंकुश लगाना ही चाहिए। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार वर्ष 2014 राजनीतिक हिंसा में 2400 जाने गई, जबिक सांप्रदायिक दंगों के कारण 2000 लोग काल—कलित हुए।

भारत जैसे विशाल लोकतांत्रिक देश में जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों को देश की बागडोर सौंपी जाती है तािक वे देश का कुशलतापूर्वक नेतृत्व करते हुए देश की उन्नित करने में सहायता प्रदान करें। ना कि आपस में ही अपने स्वार्थ की पूर्ति हेतु लड़ते रहे तथा जनता के साथ—साथ देश की सुरक्षा को भी दांव पर लगाते समय रहते इस राजनीतिक हिंसा का समाधान ढूंढना जरूरी है अन्यथा आने वाले निकट भविष्य में यह समस्या और अधिक भयावह रूप धारण कर सकती है।

निर्वाचन आयोग द्वारा इस संबंध में समय—समय पर कड़े कदम उठाए गए हैं तथा वर्तमान में भी इस ओर सकारात्मक प्रयास किए जा रहे हैं आज बोध को लूटने जैसी वारदातें कम सुनाई पड़ती है आयोग द्वारा चुनावी खर्चे की सीमा तय कर दी गई है चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों से उनकी संपत्ति का विवरण मांगा जाना आपराधिक प्रकरण में लिप्त व्यक्ति को चुनावी टिकट ना देना ऐसे कई कारणों से राजनीति में साफ—सुथरे व्यक्तियों का प्रवेश सुनिश्चित हो पाया है। किंतु आयोग की शक्तियां भी सीमित है वह भी अपना कार्य सत्ता पक्ष में जनता के सहयोग के बिना प्रभावपूर्ण तरीके से करने में अक्षम हैं अतः सत्ता पक्ष को भी अपने कार्यकर्ताओं पर उचित तरीके से दबाव बनाते हुए उन्हें अनुशासन में रहने की सीख देनी चाहिए तथा विपक्ष को भी अपने कार्यकर्ताओं द्वारा गलत कार्य करने पर कठोर कार्यवाही की जानी चाहिए। इस हिंसा रूपी कड़ाई में में धर्म का तड़का इस आग को और अधिक भड़काने का काम करता है। तथाकथित विकास के नाम पर नेताओं द्वारा जाति एवं धर्म की आड़ में जो हिंसा करवाई जाती है, इस खतरनाक प्रवृत्ति पर अंकुश लगाना ही चाहिए।

नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार वर्ष राजनीतिक हिंसा में जान गई, जबिक सांप्रदायिक दंगों के कारण लोग काल?—कलिवत हुए।

भारत जैसे विशाल लोकतांत्रिक देश में जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों को देश की बागडोर सौंपी जाती है तािक वे देश का कुशलतापूर्वक नेतृत्व करते हुए ,देश की उन्नित करने में सहायता प्रदान करें , ना कि आपस में ही अपने स्वार्थ की पूर्ति हेतु लड़ते रहे तथा जनता के साथ—साथ देश की सुरक्षा को भी दांव पर लगा दे। समय रहते इस राजनीतिक हिंसा का समाधान ढूंढना जरूरी है ,अन्यथा आने वाले निकट भविष्य में यह समस्या और अधिक भयावह रूप धारण कर सकती है।

निर्वाचन आयोग द्वारा इस संबंध में समय—समय पर कड़े कदम उठाए गए हैं तथा वर्तमान में भी इस ओर सकारात्मक प्रयास किए जा रहे हैं। आज गलत मतदान एवं बूथ को लूटने जैसी वारदातें कम सुनाई पड़ती है। आयोग द्वारा चुनावी खर्चे की सीमा तय कर दी गई है, चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों से उनकी संपत्ति का विवरण मांगा जाना, आपराधिक प्रकरण में लिप्त व्यक्ति को चुनावी टिकट ना देना,ऐसे कई कारणों से राजनीति में साफ—सुथरे व्यक्तियों का प्रवेश सुनिश्चित हो पाया है। किंतु आयोग की शक्तियां भी सीमित है, वह भी अपना कार्य सत्ता पक्ष एवं जनता के सहयोग के बिना प्रभावपूर्ण तरीके से करने में अक्षम हैं अतः सत्ता पक्ष को भी अपने कार्यकर्ताओं पर उचित तरीके से दबाव बनाते हुए, उन्हें अनुशासन में रहने की सीख देनी चाहिए तथा विपक्ष को भी अपने कार्यकर्ताओं द्वारा गलत कार्य करने पर कठोर कार्यवाही की जानी चाहिए।

सत्ता पक्ष व विपक्ष पक्ष दोनों ही पक्षों को निर्वाचन आयोग कि सफलतापूर्वक एवं शांतिपूर्वक चुनावी कार्य करने में मदद करनी चाहिए, इसके अतिरिक्त जनता को भी अपनी सामूहिक शक्ति का परिचय देते हुए, ना केवल अपने आप को शिक्षित एवं जागरूक बनाना चाहिए, बल्कि राजनीतिक हिंसा का पुरजोर विरोध करना चाहिए। आम जनता को अब इस धारणा को त्याग करने की जरूरत है कि,'मेरे अकेले वोट देने या न देने से क्या फर्क पड़ता हैं? या फिर मुझे तो केवल अपना घर चलाना है, राजनीति से मेरा क्या मतलब? इनसंकीर्ण विचारों का त्याग करते हुए ,आम जनता को अपनी राजनीतिक कुशलता का परिचय देते हुए, ईमानदार एवं बेदाग व्यक्तियों को हीचुनाव मैं चयनित करना चाहिए तथा देश में सुशासन लाने की पहल करनी चाहिए।

इस सन्दर्भ में मीडिया की भी महत्वपूर्ण भूमिका किसी से छिपी नहीं है। मीडिया को भी बिना किसी दबाव के अथवा लालच के वस्तु स्थिति से आम जनता को अवगत करवाया जाना चाहिए। अगर आम जनता अपने अधिकारों का आनंद लेते हुए अपने कर्तव्यों का भी उचित ढंग से निर्वहन करेगी ,तो वह दिन दूर नहीं जब हमारा देश ना केवल विश्व में जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश होगा ,बरन हिंसा—विहीन एवं कुशल नेतृत्व के कारण एक शांतिपूर्ण व विकसित देशों की श्रेणी में जगमगा रहा होगा, अन्यथा पडोसी देश म्यांमार जैसे तख्ता पलट के लिए हमे भी मानसिक रूप से तैयार रहना होगा।

टिप्पणी

लोकतान्त्रिक व्यवस्था

लोकतंत्र सरकार का एक रूप, जिसमें शासक जनता द्वारा चुने जाते हैं। सभी लोकतंत्रां में एक प्रमुख कारक यह है कि सरकार लोगों द्वारा चुनी जाती है। यह छात्रों को लोकतांत्रिक और गैर-लोकतांत्रिक सरकारों के बोच सीमांकन करने में मदद करता है।

राजनीतिक हिंसा

वह हिंसा जो राजनीतिक स्वार्थपूर्ति के लिए राजनीतिक दलों या सरकारों द्वारा की जाती है।

* * * * *

सन्दर्भ सूची

- 1- https://www-amarujala-com/tags/politicalviolence
- 2- https://www-ncbi-nlm-nih-gov/pmc/articles/PMC3801099/
- 3- https://thewire-in/politics/the&trail&of&violence&in&india
- 4- https://ndtv-in/topic/political&violence
- 5- https://www-thehindu-

com/opinion/op&ed/a&playing&field&for&political&violence/article29095075-ece


- 6- https://journals-openedition-org/samaj/1872
- 7- https://us-sagepub-

com/en&us/nam/political&violence&and&the&police&in&india/book231964

- 8- https://zeenews-india-com/hindi/tags/political&violence-html
- 9- https://navbharattimes-indiatimes-

com/metro/lucknow/administration/political &violence &escalating &says &manmohan &singhs &da aughter/articleshow/61719251-cms

10- https://www-livehindustan-com/tags/political&violence



भारत में चुनावी राजनीतिक हिंसाः लोकतांत्रिक आयाम के प्रति आघात राखी

शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय

राजनीतिक हिंसा राज्य तथा गैर राज्य आधारित कारको पर समावेशित ऐसा विषय है जिसके तहत राज्य के आंतरिक मामलों को राजनीतिक प्रारूप प्रदान किया जाता है। राजनीतिक मुद्दों में अपशब्दों का प्रयोग तथा अनैतिक तत्वों का समावेश वर्तमान लोकतांत्रिक प्रतिमान के प्रति गंभीर समस्या है। राजनीतिक हिंसा का स्वरूप राज्य के प्रति आंतरिक मामलों में जनता के आक्रोश से बढ़कर वर्तमान समय में स्वयं राजनीतिक संस्थाओं के दुरुपयोग के तहत विभिन्न शासकीय अनैतिक गतिविधियों को भी शामिल किए हुए है। राजनीतिक हिंसा के स्वरूप में उपर्युक्त दोनों ही प्रतिरूप लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति आघात है। यह लेख इन दोनों ही समस्याओं में से चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों तथा प्रत्याशियों द्वारा अपने कृत्यों के आधार पर की गई राजनीतिक हिंसा पर आधारित है।

लोकतंत्र में विचार अभिव्यक्ति आवश्यक सिद्धांत के रूप में माना जाता है जिसमें चुनाव के दौरान विभिन्न दलों के प्रत्याशी तथा प्रतिनिधियों का चुनावी कारकों पर दिया गया बयान इस विषय में महत्वपूर्ण बन जाता है। राजनीतिक मुद्दों पर विवादास्पद भाषा का प्रयोग तथा घृणा आधारित वक्तव्य लोकतांत्रिक राजनीति हेतु समस्या है। इस प्रकार की भावना राजनीति में विभाजन तथा वैमनस्य को बढ़ावा देती है। राजनीतिक हिंसा का विचार वाद—विवाद के विषय के रूप में विभिन्न मुद्दों के प्रति अचानक उभरी प्रतिक्रिया के रूप में इस विषय को अधिक गहन स्वरूप प्रदान करता हैं। किंतु यह तुरंत उभरी आवेशित प्रतिक्रिया का परिणाम नहीं होकर अपितु लंबे समय से बनी हुई असंगतता का परिणाम कहा जा सकता है।

चुनाव प्रक्रिया एक द्वि—आयामी व्यवस्था है इसके अंतर्गत शासक तथा शासित के मध्य के संबंधों को वैधता प्रदान की जाती है जिसके तहत इन दोनों के मध्य एक सकारात्मक संबंध बनाया जाता है। चुनाव इस प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण आयाम है जिसके अंतर्गत लोकतांत्रिक संस्थाओं को स्थापित किया जाता है। चुनाव राजनीतिक सत्ता की प्राप्ति के रूप में हालांकि

राजनीतिक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देते हुए एक विवादास्पद स्थिति का निर्माण भी करते हैं जिसमें विभिन्न राजनीतिक संस्थाओं के प्रति राजनीतिक हिंसा का प्रभाव दिखाई देता है। चुनाव में विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा इस प्रक्रिया में स्वयं को मतदान देने को प्रासंगिक ठहराते हेतु स्वयं की औचित्यता साबित करना सरल हो जाता है। इस प्रक्रिया के तहत एक पक्ष स्वयं को उचित ठहराते हुए अन्य पक्ष तथा इसकी गतिविधियों को अनुचित ठहराने हेतु प्रयासरत होने लगता है, इस प्रकार की असहजता पूर्ण गतिविधियां राजनीतिक परिस्थितियों को अधिक कठिन बना देती हैं स जिससे राजनीति में विभिन्न वर्गो अथवा व्यक्तियां के मध्य यह असहजता निम्न प्रकार से राजनीतिक हिंसा में वृद्धि करने लगती हैं।

भारतीय चुनावों में असहजताः हिंसा का प्रारंभिक स्तर

राजनीतिक विवाद आधारित हिंसा नेताओं के विचारों कि मान्यता तथा उनका राजनीतिक लाभ हेतु की गई गतिविधियां है। जिसके अंतर्गत धार्मिक जातिगत तथा वर्गीय आधार पर विभिन्न वर्गों को एकीकृत करना इनका लक्ष्य होता है। राजनीतिक वर्गों के मध्य चुनाव के दौरान किसी भी सामाजिक गतिविधि का प्रभाव इनका वर्ग विशेष के लोकलुभावन हेतु किया गया प्रयास है। इसके अलावा राजनीतिक हिंसा के लिए कुछ लक्ष्य हैं उदाहरण के लिए मुक्ति और स्वायत्तता के लिए, विश्वास आधारित आदर्शों को फिर से परिभाषित करने के लिए, दमनकारी सरकार को लाना, या धार्मिक या चिकित्सक विश्वासों को लागू करना आदि।

हालांकि चुनावी हिंसा चुनावी व्यवस्था का परिणाम नहीं अपितु इस प्रक्रिया पर व्यवधान है। इस प्रकार चुनावी प्रक्रिया को निष्पक्ष तथा सफलतापूर्वक पूर्ण करने हेतु अगर हिंसा की आशंका के चलते मतदाता वोट डालने से बचते हैं तो मतदान प्रभावित हो सकता है। चुनाव अभियान के दौरान हमले, धमकी और राजनीतिक हत्या राजनीतिक दावेदारों को छोड़ने के लिए मजबूर कर सकती है यदि चुनाव संबंधी हिंसा विकास और लोकतंत्र को कमजोर करती है तो यह भी कहा जा सकता हैं कि यह लोगों की सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा है।

भारत में चुनाव प्रक्रिया के दौरान प्रत्याशियों के नामांकन भरने से चुनाव प्रचार, मतदान तथा परिणामों की घोषणा तक इस प्रकार के घृणा आधारित विचारों की प्रस्तुति राजनीति में हिंसा को परिवर्तित कर राजनीति का अपराधीकरण करना आरंभ कर देती हैं। चुनाव के दौरान विभिन्न प्रत्याशियों को मनपसंद स्थान से टिकट ना दिया जाना भी इसका एक महत्वपूर्ण कारण माना जा सकता है जिसके पश्चात न केवल प्रतिद्वंदी प्रत्याशी के प्रति अपितु स्वयं के दल के

प्रति तीव्रता से उभरा प्रभाव इस प्रकार की राजनीतिक हिंसा को अधिक संकटग्रस्त बना देता है। भारतीय निर्वाचन आयोग ने चुनावी हिंसा के लिए संवेदनशील और महत्वपूर्ण मतदान केंद्रों को संवेदनशील और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने में मदद करने के प्रयास के तहत इनकी पहचान की है।

प्रांतीय दलों का राजनीति में स्थान इस प्रकार की राजनीतिक व्यग्रता को बढ़ावा देता है पदि क्षेत्रीय दल स्थानीय जातीय बहुमत की वकालत करने के लिए मौजूद हैं, तथा वे अपने स्वभाव से जातीय और क्षेत्रीय पहचानों को बढ़ाते हैं। क्षेत्रीय दल अंततः नागरिक संघर्ष के लिए नागरिकों को लामबंदीकरण की सुविधा दे सकते हैं— यह एक विडंबना ह या नहीं। इस विषय में विभिन्न राष्ट्रीय दलों के द्वारा प्रांतीय दलों से किया गया गठबंधन तथा समुचित संख्या में उन्हें टिकटों में प्रतिनिधित्व दिए जाने के कारण भी स्थिति अत्यधिक गंभीर रूप धारण कर लेती है। जिससे कि दो दलों के गठबंधन में कुछ प्रत्याशियों को टिकट ना मिल पाने के कारण राजनीतिक समर्थकों द्वारा इस प्रकार की राजनीतिक हिंसा को बढ़ावा दिया जाता है। (Hindustan Times 2 April 2019)

राजनीतिक हिंसा में इस प्रकार के घटनाक्रमों में वृद्धि भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में निष्पक्ष तथा स्वतंत्र चुनाव को प्रभावित करने का काम करती है। पिश्चम बंगाल तथा केरल में इस प्रकार की राजनीतिक हिंसा का एक लंबा इतिहास देखा जा सकता है जिसमें से पिश्चम बंगाल चुनाव के दौरान राजनीतिक हिंसा में केरल से कहीं अधिक उग्र देखा गया है। (ACLED) Daniela Pollmann and Kunal Phrohit) 1960 से 1970 के मध्य में यह राजनीतिक प्रतिस्पर्धा भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस तथा टी. एम. सी के मध्य था किन्तु वर्तमान समय में यह बीजेपी तथा टो. एम. सी के कार्यकर्ताओं द्वारा की जाती रहती हैं।

भारतीय राजनीति में इस प्रकार की राजनीति में पश्चिम बंगाल सर्वप्रथम राज्य है जिसमें इस प्रकार की घटनाएं सर्वाधिक दिखाइ देती है इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) 2018 के आंकड़ों के अनुसार पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा राजनीतिक हत्याएं होती हैं। पश्चिम बंगाल में 'राजनीतिक कारण' से हत्याओं की संख्या 12 थी, जिसके बाद बिहार में नौ आर महाराष्ट्र में सात हुई। वर्ष 2007, 2010, 2011 और 2013 में, राज्य में राजनीतिक हत्याओं की संख्या सबसे अधिक थी। अन्य वर्षों में भी, यह लगातार सबसे अधिक राजनीतिक हत्याओं वाले राज्यों में शामिल रहा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में इस प्रकार की हिंसा के

693 घटनाएं देखी गई जिसमें 11 व्यक्तियों की चुनाव के दौरान तथा 23 व्यक्तियों की मतदान के दिन मृत्यु हुई (The Times of India 4 March 2021) हालांकि इस प्रकार कि हिंसक गतिविधि पर अंकुश लगाने हेतु भारतीय चुनाव आयोग तथा अन्य कानूनी संस्थान निरंतर प्रयत्नशील रहे है। यह सभी प्रावधान निरंतर इस विषय को लोकतांत्रिक व्यवस्था में समिति करने का प्रयास करती रहती है।

राजनीतिक हिंसा के प्रति कानूनी प्रावधान

रिप्रजेंटेशन ऑफ़ पीपल एक्ट 1951 (RPA) की घारा 125 में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति जो विभिन्न वर्गों के बीच शत्रुता की भावनाओं को बढ़ावा देने या बढ़ावा देने का प्रयास करता है, उसे दंडित किया जा सकता है, जिसमें तीन साल तक का कारावास या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।


इब्राहिम सुलेमान सैत बनाम एमसी मुहम्मद और अन्न (1980) में अदालत ने कहा कि धारा 123 (31) में एक भ्रष्ट आचरण कहा जाने वाला अधिनियम भी धारा 125 के तहत एक चुनावी अपराध है। 123 (ए), उम्मीदवार या उनके एजेंट या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उम्मीदवार या उनके एजेंट की सहमति से किया जाना चाहिए, और उस उम्मीदवार के चुनाव के लिए या किसी उम्मीदवार के चुनाव को पूर्वाग्रह से प्रभावित करने के लिए किया जाना चाहिए। दूसरी ओर, धारा 125 के तहत, कोई भी व्यक्ति जो इस तरह के कृत्य का दोषी है, दंडनीय है, और अधिनियम के पीछे का उद्देश्य अपराध का एक घटक नहीं बताया गया है।

अभद्र भाषा की बहस के दायरे में, मॉडल कोड ऑफ़ कंडक्ट (MCC) महत्त्व रखता है क्योंकि MCC का आइटम 1 (सामान्य आचरण) पार्टियों और उम्मीदवारों को वोट हासिल करने के लिए जाति या सांप्रदायिक भावनाओं को अपील करने से रोकता है। इसके अलावा, कोई भी पार्टी या उम्मीदवार किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं हो सकता है जो मौजूदा मतभेदों को बढ़ा सकता है या विभिन्न जातियों, समुदायों, धार्मिक या भाषाई समूहों के बीच आपसी घृणा पैदा कर सकता है या तनाव पैदा कर सकता है। ARPA के विपरीत, MCC प्रावधान दोनों उम्मीदवारों के साथ—साथ राजनीतिक दलों के मार्गदर्शन के लिए हैं। चूंकि MCC के पास वैधानिक स्थिति नहीं है, इसलिए इसके प्रावधानों के उल्लंघन से कोई कानूनी परिणाम नहीं निकल सकते हैं।

हाल के दिनों में एमसीसी के बार-बार उल्लंघन की जांच करने और सभी राजनीतिक दलों के लिए एक स्तर का खेल सुनिश्चित करने में इसकी विफलता के कारण चुनाव आयोग की भूमिका संदेह के घेरे में आ गई है। 2019 के लोकसभा चुनाव (राजगोपाल 2019) में धर्म के नाम पर घृणा और विभाजनकारी भाषणों में वृद्धि को उजागर करते हुए एक अनिवासी भारतीय, हरप्रीत मनसुखानी द्वारा एक याचिका दायर की गई थी।

भारत की आंतिरक सुरक्षा को परंपरागत रूप से चुनावी अवधि के दौरान चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद उपरोक्त क्षेत्रों में कानून और व्यवस्था की स्थिति संवेदनशील बनी हुई है। चुनावी प्रक्रिया का विरोध विभिन्न दलों के संयुक्त गठबंधन से उम्मीदवारों के बीच गठबंधन के कारण राजनीतिक हिंसा भी बढ़ सकती है। नतीजतन, कम उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने के लिए मिलता है, जिसके परिणामस्वरूप राजनीतिक कार्यकर्ताओं में असंतोष होता है। इन असंख्य कारकों का मतलब है कि राजनीतिक हिंसा के दशक 17 वें आम चुनावों में वृद्धि हुई हैं। यह संमावना है कि भारत के सबसे कमजोर क्षेत्रों से राजनीतिक हिंसा के महत्वपूर्ण स्तर की सूचना दी जाएगी क्योंकि राजनीतिक अभिनेता और विद्रोही समूह हिंसक साधनों के साथ अपने एजेंडे का पालन करते हैं। आरपीए, 1951 के अलावा, राजनीतिक दलों और उम्मोदवारों के आचरण को भी एमसीसी द्वारा विनियमित किया जाता है। यह भारत के चुनाव आयोग द्वारा जारी किए गए राजनीतिक दलों की आम सहमित से विकसित दिशा निर्देशों का एक समूह है।

* * * * *



राजनीतिक हिंसा का व्यवसायिक पर्यावरण पर कुठाराघात डॉ. अमित अग्रवाल

सहायक प्राध्यापक, राजकीय रजा स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रामपुर (उ.प्र.)

वैश्विक स्तर पर राजनीतिक हिंसा, मानव के जीवन को दुष्कर बना रही है। विश्व के 200 से अधिक देश राजनीतिक हिंसा से ग्रसित हैं। विश्व में राजनीतिक राजनीतिक हिंसा का स्वरूप अलग अलग हो सकता है। विश्व में राजनीतिक हिंसा का उदय उस समय से शुरू हो गया जब मनुष्य अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए हिंसा का सहारा लेता है। आज राज्य राजनैतिक न होकर राजनीतिक हो गए हैं। जो दल सत्ता में हैं वह येन केन सत्ता का सुख भोगने के लिए गलत नीतियों का प्रयोग करने से भी नहीं डरते हैं चाहे सत्ता को बचाए रखने के लिए उन्हें हिंसा का सहारा ही क्यों न लेना पड़े। वहीं विपक्षी दल सत्ता को हथियाने के लिए राजनीतिक हिंसा करने से पीछे नहीं रहते हैं।

इस राजनीतिक हिंसा को जनाक्रोश का नाम दे दिया जाता है। सत्तारूढ़ दल अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए भी राजनीतिक हिंसा का सहारा लेते हैं। राजनीतिक हिंसा का व्यापक प्रभाव स्थानीय से लेकर अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर पड़ता है। व्यवसायिक वातावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने शुरू हो जाते हैं और अर्थव्यवस्था पर गंभीर कुठाराघात होता है। उद्योग धंधे, व्यापार, सेवाएं व श्रमिक आदि बुरी तरीके से प्रभावित होते हैं। विनियोग, बचत, रोजगार और अवसंरचना आदि गतिविधियां रुक जाती हैं।

राजनोतिक हिंसा कभी खुद होती है या कभी इसको करवाया जाता है। राजनीतिक हिंसा के लिए उन मुद्दों की खोज की जाती है जो विवाद को उत्पन्न करते हैं। विवादित मुद्दों का प्रसार किया जाता है। विवादित मुद्दों को प्रसारित कर उन पर आंदोलन किए जाते हैं। यह आंदोलन फिर हिंसा में बदल जाते हैं। यह राजनीतिक हिंसा समुदाय, जाति, धर्म, क्षेत्र, कबीले, राज्य और देश आदि के मध्य हो सकती है। 6 जनवरी को लाल किले पर हुई घटना, जनवरी में अमेरिका में सत्ता हस्तांतरण से पूर्व कैपिटल हिल में हुई राजनीतिक हिंसा की घटना। पश्चिम बंगाल और केरल के विधानसभा चुनाव, नेपाल में संविधान गठन और संसद गठन को लेकर विवाद।

पाकिस्तान के विभिन्न प्रांतों में होने वाले विधानसभा चुनाव। म्यांमार में राजनीतिक दल और सेना के मध्य विवाद। दक्षिण कोरिया में दो दलों के मध्य विवाद। चीन और भारत के मध्य सीमा पर तनाव, हॉगकोंग या ईरान उस सभी जगह राजनीतिक हिंसा हो रही है कहीं छुटपुट घटनाएं हैं तो किसी देश में व्यापक। राजनीतिक हिंसा का प्रचंड रूप आतंकवाद के रूप में सामने आ रहा है। जैसे श्रीलंका में राजनीति हित के लिए लिट्टे का गठन किया गया था। राजनीतिक महत्वकांक्षा गृह युद्ध, दो राष्ट्र के मध्य युद्ध और विश्व युद्ध में भी बदल जाती है।

उदारीकरण निजीकरण और वैश्वीकरण और आधुनिकरण के युग में व्यापार का क्षेत्र अंतरराष्ट्रीय हो गया है और एक देश की अर्थव्यवस्था दूसरे देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ चुकी हैं अतः राजनीतिक हिंसा से सभी देशों की अर्थव्यवस्थाएं प्रभावित होती हैं। राजनीतिक हिंसा के दौरान दंगाइयों द्वारा फुटकर दुकाने खेले शोरूम फैक्टो आदि में व्यापक तोड़फोड़ की जाती है या उन्हें जला दिया जाता है। ठीक उसी प्रकार यातायात के साधनों बसों, टेंपो, जीप, ट्रेन आदि में व्यापक तोड़फोड़ की जाती है या उन्हें जला दिया जाता है। कहीं—कहीं तो ट्रेन की पटरी आंखो दी जाती हैं दूरसंचार की व्यवस्था लड़खड़ा जाती है और इंटरनेट आदि बंद कर दिया जाता है बैंक का कारोबार प्रभावित होता है और बीमा कंपनियों को अकारण ही मिलियन—बिलियन धनराशि बीमा की क्षतिपूर्ति करनी पड़ती है।

व्यावसायिक वातावरण के तत्त्वों को निम्नलिखित भागों में बाँटा जा सकता है:

(क) राजनीतिक वातावरण— राजनीतिक वातावरण भी व्यवसायिक वातावरण को काफी प्रभावित करती है। व्यवसाय को सरकार के दृष्टिकोण के अनुसार अपनी क्रियाओं को करना पड़ता है। राजनीतिक निर्णय व्यवसाय की दिशा ही बदल देते हैं। व्यवसायिक वातावरण के लिए राजनीतिक वातावरण मुख्य आधार प्रदान करता है। यदि देश में राजनीतिक स्थायित्व है और देश में कोई राजनीतिक हिंसा नहीं होती है तब व्यवसाय और अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ती है। नई नई योजनाएं और कार्यक्रम संचालित होते हैं। उद्योगपित को यदि देश में बेहतरीन अवसंरचना मिलती ह तब औद्योगिक विकास तेजी से होता है, जिससे आर्थिक विकास में भी तीव्र गित से वृद्धि होती है। देश में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, विनियोग, रोजगार और बचत आदि में वृद्धि होती है। राजनीतिक निर्णय में स्थाई होता है और एक दल द्वारा लिए गए निर्णय को दूसरे राजनीतिक दल नहीं बदलते हैं। यदि देश में राजनीतिक अस्थिरता होती है तब आर्थिक नीतियों में भी स्थायित्व का अभाव होता है। राजनीतिक वातावरण का प्रयोग उद्योगपित अपने आर्थिक हितों के लिए भी करते हैं जैसा कि आप किसान आंदोलन के दौरान देख सकते हैं कुछ

कंपनियां दूसरी कंपनियों के उत्पाद या सेवाओं के बहिष्कार के लिए किसानों को उकसा रही थी। राजनीतिक हिंसा में सार्वजनिक संपत्तियों के साथ—साथ यदि किसी उद्योगपति से संबंधित उद्योगों को हानि पहुंचाई जाती है तब यह राजनीतिज्ञ और उद्योगपतियों के गठजोड़ को दशाती है। राजनीतिक—कानूनी प्रणाली जैसे सवाला के जवाब देने में मदद करती है:—

- क्या राजनीतिक इच्छा शक्ति स्थिर है? वह सरकार की नीतियों को बार-बार ना बदले।
- क्या नौकरशाही और लालफीताशाही के कारण राजनीतिक दल और व्यवसायिक संगठन
 की गतिविधियों में विवाद उत्पन्न नहीं हो रहा है।
- क्या सरकार की नीतियां बाजार प्रोत्साहन और कराधान नीति आदि व्यवसायिक विकास
 के अनुकूल है, जिससे जनता में असंतोष उत्पन्न ना हो।
- क्या औद्योगिक लाइसेंस प्रक्रिया इस प्रकार तो तैयार नहीं की गई है कि उससे किसी
 एक उद्योग घराने को लाभ मिले।
- आयात निर्यात नीति इस प्रकार तो तैयार नहीं की गई है जिससे राजनीतिक विवाद
 उत्पन्न हो।
- क्या व्यवसायिक विवाद, संघर्ष और मुकदमों से निबटने के लिए न्यायपालिका निर्णय लेने
 में सक्षम है।

(ख) सामाजिक वातावरण— सामाजिक ज्ञान के अंतगर्त सामाजिक मूल्य, सामाजिक संस्थाएँ, सामाजिक विश्वास, शिक्षा, सामाजिक मान्यताएँ आदि आते हैं। व्यवसायी को सामाजिक ज्ञान का होना आवश्यक है। समाज व्यवसाय का आधारशिला है। किसी की व्यवसाय को सामाजिक वातावरण भिन्न—भिन्न प्रकार से प्रभावित करते हैं। जहाँ समाज रूढ़िवादी और परंपरावादी होता है और परिवर्तन का स्वीकार नहीं करता है, वहाँ राजनीतिक हिंसा होने की संभावना अधिक होती है। जिस देश में जितने ज्यादा कबीले होंगे वहाँ राजनीतिक हिंसा अधिक होन की संभावना रहती है क्योंकि इन कबीलों के व्यक्ति संकुचित सोच के आधार पर हिंसा के लिए तैयार किए जाते हैं। सामाजिक ज्ञान और शिक्षा के विस्तार से व्यवसायिक वातावरण में अनुकुलता आती है।

यदि सामाजिक मान्यताएँ शांति पर विश्वास रखने वाली हैं, तब वहाँ हिंसा का विस्तार कम होता है। जैसे बौद्ध धर्म को मानने वाले अनुयाई अहिंसा परमो धर्मा पर विश्वास रखते हैं। सामाजिक संस्थाएं यदि सुदृढ़ होती हैं तब राजनीतिक दल आसानी से राजनीतिक हिंसा नहीं कर पाते हैं। व्यवसायिक इकाइयाँ भी वहाँ के सामाजिक वातावरण के अनुकूल अपनी व्यवसायिक नीतियां

बनाती हैं। जैसे समाजवादी या साम्यवादी देश में अत्यधिक मुनाफा लेना गलत माना जाता है। यदि कोई इकाई अत्यधिक लाभ ले रही है तब समाज उसका बिहष्कार कर देता है। कई बार देखा गया है कि यदि कंपनियां वहाँ के स्थानीय पर्यावरण को क्षिति पहुंचाते हैं तब वहाँ की स्थानीय जनता राजनीतिक दलों के माध्यम से उस उद्योग इकाइयों को बंद करवाने के लिए आंदोलन करती हैं और अपनी बात को मनाने के लिए हिंसा का सहारा लेने से भी पीछे नहीं रहती। यदि समाज भाषा, जाति, धर्म, क्षेत्र आदि के आधार पर विभाजित है तब राजनीतिक हिंसा की उत्पत्ति सरल हो जाती है। विश्व में राजनीतिक हिंसा का मुख्य वस्त्र धार्मिक विवाद है धर्म के आधार पर राजनीतिक दल अपने स्वार्थों की सिद्धि पूरी करते हैं। सीरिया, अजरबेजान और आर्मीनिया इसके ज्वलंत उदाहरण है।

- (ग) आर्थिक वातावरण— व्यावसायिक वातावरण के सभी तत्वों में से आर्थिक वातावरण एक जिटल व्यवस्था है। इसमें बहुत सारे घटक हैं जैसे आर्थिक नीतियाँ, आथिक दशाएँ, आर्थिक प्रणालियाँ आदि।आज अधिकतर देशों में उच्च वर्ग मध्यमवर्ग और निर्धन वर्ग के नागरिक निवास करते हैं। देश के नागरिक राजनीतिक दलों से यह उम्मीद करते हैं कि वह देश की आर्थिक नीतियां इस प्रकार तैयार करेंगे कि देश में सभी नागरिकों को, देश के आर्थिक विकास का लाभ मिल सके। देश में आर्थिक विषमताओं में कमो होंगी। जनता निर्धनता की रेखा से ऊपर आएगी और अधिकतर व्यक्तियों को रोजगार के अच्छे अवसर उपलब्ध होंगे। व्यक्ति निम्न जीवन स्तर से उच्च जीवन स्तर की ओर अग्रसर होंगे। विश्व में तीन प्रकार की आर्थिक प्रणालियां प्रचलित हैं। साम्यवादी, पूँजीवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था। आर्थिक विषमता जनता में आक्रोश उत्पन्न करती हैं और राजनीतिक दल अपने स्वार्थ के लिए इस आक्रोश का उपयोग करते हैं। दो देशों के मध्य आर्थिक असंतुलन भी कभी—कभी राजनीतिक हिंसा के साथ साथ युद्ध का रूप धारण कर लेता है।
- (घ) तकनीकी वातावरण— तकनीकी वातावरण के अंतर्गत नए—नए डिजाइन, नए—नए यंत्र, यांत्रिक सुधार, व्यवस्था की खोज, नए विकास आदि को शामिल किए जाते हैं। तकनीकी वातावरण में विकास के साथ—साथ सोशल मीडिया और मीडिया के अन्य वैश्विक मंच या तंत्र उपलब्ध हो गए हैं। इनके द्वारा राजनीतिक दल अपनी विचारधारा को वैश्विक स्तर पर फैला सकते हैं। किसान आंदोलन के दौरान सोशल मीडिया की शक्ति को सब जानते हैं। किस प्रकार ट्विटर विवाद उत्पन्न हुआ। मीडिया या सोशल मीडिया वीडियो या पोस्ट के माध्यम से कई बार जनता को भड़काया जाता हैय जिससे राजनीतिक हिंसा हो जाने की संभावना रहती है।

(ड) वैधानिक वातावरण— व्यवसाय तथा कानून में परस्पर धनिष्ठ संबंध है। वैधानिक वातावरण के अंतगर्त विभिन्न तरह के कानूनी नीतियाँ, विभिन्न वैधानिक नियंत्रण को शामिल किया जाता है। व्यवसायी को हमेशा कानून के दायरे में ही काम करना पड़ता है। भारत में तीन कृषि सुधार बिल के संबंध में कृषक आंदोलन हो रहा है। इसी प्रकार विश्व के अन्य देशों में भी वैधानिक वातावरण में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप आंदोलन या राजनीतिक हिंसा होतो है। भारत में नागरिकता संशोधन कानून के संदर्भ में भी आप देख सकते हैं। अमेरिका में श्वेत अश्वेत नागरिकों क मध्य कानूनो विवाद को आप देख सकते हैं। विश्व के विभिन्न देशों में कानून परिवर्तन के कारण राजनीतिक ऑल आंदोलन हुए हैं और इन आंदोलन के कारण ही राजनीतिक हिंसा का जन्म हुआ है।

निष्कर्षः राजनीतिक हिंसा किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता है अपितु यह कवल राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि का माध्यम रह गया है। राजनीतिक हिंसा को रोकना जब और किवन हो जाता है जब सत्ता इसमें शामिल हो जाती है। अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं मूकदर्शक बन जाती हैं। राजनीतिक हिंसा से व्यवसायिक वातावरण पर व्यापक प्रभाव को आप विभिन्न रिपोर्टों के माध्यम से समझ सकते हैं। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस (गैर सरकारी संगठन) ने 163 देशों एवं क्षेत्रों का अध्ययन करने के बाद यह रिपोर्ट तैयार की है। रिपोर्ट के मुताबिक हिंसा से 2017 में देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 9 प्रतिशत के बराबर नुकसान हुआ है। हिंसा से वैश्विक अर्थव्यवस्था को क्रय शक्ति क्षमता (पीपीपी) आधार पर 14,760 अरब डॉलर की हानि हुई। 2017 में हिंसा से वैश्विक अर्थव्यवस्था को क्रय शक्ति क्षमता आधार पर 14,760 अरब डॉलर हानि हुई।

यह वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 12.4 प्रतिशत है, जो प्रति व्यक्ति 1,988 डॉलर होता है। रिपोर्ट में हिंसा के प्रत्यक्ष एवं परोक्ष प्रभावों समेत आर्थिक गुणात्मक प्रभाव को शामिल किया गया है। रिपोर्ट का विश्लेषण करने पर उभरते बाजारों वाले देशों के अंतर्गत हिंसा से चीनी अर्थव्यवस्था को सत्रह सौ अरब डॉलर, ब्राजील की अर्थव्यवस्था को छह सौ अरब और रूस को एक हजार अरब डॉलर का नुकसान हुआ। दक्षिण एशिया क्षेत्र में भारतीय अर्थव्यवस्था को क्रय शक्ति क्षमता (पीपीपी) के संदर्भ में हिंसा के कारण 2017 में देश को 1,190 अरब डॉलर यानी करीब 80 लाख करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान उठाना पड़ा है। यह नुकसान प्रति व्यक्ति के हिसाब से करीब 595.40 डॉलर यानी 40 हजार रुपये से अधिक है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान दो सबसे खराब देश बने हुए हैं और इनकी स्थिति लगातार खराब होती जा रही है।

विकसित देशों में अमेरिका के मामले में हिंसा की लागत करीब तीन खरब आई है, जो जीडीपी की आठ फीसद थी। ब्रिटेन के लिए यह लागत 312.27 अरब डॉलर थी, जो उसकी जीडीपी की सात प्रतिशत थी। सीरिया इस दौरान जीडीपी के अड़सठ प्रतिशत नुकसान के साथ सबसे खराब देश रहा है। इसके बाद तिरसठ प्रतिशत के साथ अफगानिस्तान और इक्यावन प्रतिशत के साथ ईरान का स्थान है। शीर्ष दस खराब देशों में अल सल्वाडोर और दक्षिणी सूडान भी शामिल हैं। हिंसा से हुए नुकसान के मामले में बेहतर स्थिति स्विट्जरलैंड की रही है। एसोचौम की मानें तो इस हिंसक आंदोलन से हरियाणा को तकरीबन तीस हजार करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हुआ था।

* * * * *

	-	_
सद	भ	सची

Cherulinam, Francis (2012), Business Environment: Text and Cases, Himalaya Publishing House, Mumbai. 21st Revised Edition, 2012.

Hans V. Basil (2016). Role of Role and Responsibilities of Managerial Economists: Empowering Business through Methodology and Strategy. Nitte Management Review, 10(2), December 2016. Mueller, Edward N., and Erich Weede. (1990). "Cross National Variations in Political Violence: A Rational Choice Approach." Journal of Conflict Resolution 34: 624-51.

Sharma, Mohinder Kumar (1989), Business Environment in India, Commonwealth Publishers, New Delhi, 1st Edition.



डी.सी.आर.सी. विकासशील राज्य शोध केन्द्र

अकादिमक अनुसंधान केन्द्र भवन गुरू तेग बहादुर मार्ग दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली-110007

